

# लरकारी गजर, उत्तर प्रदेश

# उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

# असाधारग

लखनऊ, सोमवार, 8 सितम्बर, 1975 भाद्रपद 17, 1897 **शक सम्ब**त्

> उत्तर प्रदेश सरकार विधायिका प्रतुभाग–1

संख्या 3655/सत्रह-वि-1---97-75

लखनऊ , 8 सितम्बर, 1975

श्रधिसूचनः विविध

'भारत का संविधान' के अनुच्छेद 201 के अधीन राष्ट्रपति महोदय ने उत्तरप्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त तथा उप लोक आयुक्त विधेयक, 1975 पर दिनांक 7 सितम्बर, 1975 ई0 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 42, 1975 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश लोकं प्रायुक्त तथा उप लोक प्रायुक्त अधिनियम, 1975

[उत्तर प्रदेश ग्रथिनियम संख्या 42, 1975]

(जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ)

कतिषय मामलों में मन्त्रियों, विधायकों तथा श्रन्य लोक सेवकों के विरुद्ध शिक्षायतों तथा श्रमिकथमों का श्रन्येषण करने के निमित्त कतिषय प्राधिकारियों की नियुद्धित ग्रीर उनके कृत्यों तथा तत्संबंधी विषयों की व्यवस्था करने के लिए

#### अधिनियम

भारत गणराज्य के छव्वीसन वर्ष में निम्नलिखित अभिनियम बनाया जाता ह:--

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश लोक श्रायुक्त तथा उप लोक श्रायुक्त अधिनियम, 1975 कहलायेगा। संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारम्स

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश राज्य में होगा ग्रौर यह उत्तर प्रदेश के बाहर उस राज्य के कार्यों के सम्बन्ध में सैनात लोक सेवकों पर भी लागू होगा ।

(3) यह उस दिनांक से प्रवृत्त होगा जिसे राज्य सरकार, गजट में अधिसूचना द्वारा नियत

**परिभाषा**एं

- 2--इस अधिनियम में, जब तक प्रसंग से ग्रन्यथा ग्रयेक्षित न हो--
  - (क) "कार्यवाही" का तात्पय विनिश्चय, सिकारिश या उपपत्ति के रूप में या किसी भी अन्य रीति से की गई कार्यवाही से है और इसमें कोई कार्य करने में असफल रहना सम्मिलित है, और कार्यवाही की अर्थबोधक समस्त अन्य अभिव्यक्तियों का अर्थ तद्नुसार लगाया जायगा;
  - ( (ख) ''ग्रामिकथन'' का तात्पर्यकिसी लोक सेवक के सम्बन्ध में ऐसे किसी प्रतिज्ञान से है कि—
    - (1) उस लोक सेवक ने उसी रूप में प्रपनी स्थित का वृद्ययोग प्रपने लिये या किसी अन्य व्यक्ति के लिए कोई अभिलाभ या अनुप्रह अभिप्राप्त करने या किसी अन्य व्यक्ति को अनुचित अपहानि या कथ्ट पहुंचाने के लिए किया है;
    - (2) वह उस लोक सेवक के रूप में अपने कृत्यों का निर्वहन करने में व्यक्तिगत हित अथवा अनुचित या अब्ट उद्देश्य से प्रेरित था; या
    - (3) वह उस लोक सेवक की हैसियत से भ्रष्टाचार या ईमानदारी की कभी का दोषी है;
    - (ग) "सक्षम प्राधिकारी" का तात्पर्य लोक सेवक के सम्बन्ध में-
      - (1) मन्द्री या सचिव या विधान सभा के या विधान परिषद् के सदस्य के मामले में मुख्य मन्द्री से है;
      - (2) किसी भी अन्य लोक सेवक के मामले में ऐसे प्राधिकारी से है जो विहित किया जाय;
- (घ) "शिकायत" का तात्पर्य किसी व्यक्ति के इस दावे से है कि वह कुप्रशासन के परिणाम स्वरूप ग्रन्थाय या ग्रनुचित कव्ट का भागी बना है;
- (इ) "लोक ग्रायुक्त" का तात्पर्य धारा 3 के ग्रधीन लोक ग्रायुक्त के रूप में नियुक्त व्यक्ति से है; ग्रीर "उप लोक ग्रायुक्त" का तात्पर्य धारा 3 के ग्रधीन उप लोक ग्रायुक्त के रूप में नियुक्त व्यक्ति से है;
- (च) "कुप्रशासन" का तात्पर्य किसी कार्यवाही से है जो किसी मामले में प्रशासकीय कृत्यों के सम्पादन में की जाय या जिसका किया जाना श्रमित्रेत हो---
  - (1) जहां कि ऐसी कार्यवाही या ऐसी कार्यवाही को नियंत्रित करने वाली प्रशासकीय प्रक्रिया या पद्धति श्रयुक्तिसंगत, श्रन्यायपूर्ण या श्रनुचित रूप से विभेदकारी हो, या
  - (2) जहां कि ऐसी काय वाही करने में उपेक्षा या अनुचित विलम्ब हुआ हो या ऐसी कार्यवाही को नियंत्रित करने वाली प्रशासकीय प्रक्रिया या पद्धति में अनुचित विलम्ब समिहित हो;
- (छ) "मंत्री" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश राज्य की मन्त्रि परिषद् के (मुख्य मन्त्री से भिन्न) किसी सदस्य से है, चाहे वह किसी भी नाम से पुकारा जाय, अर्थात् मन्त्री, राज्य सन्त्री या उप मन्त्री;
  - (ज) "अधिकारी" का तांत्पर्य उत्तर प्रदेश राज्य के कार्यों से सम्बद्ध किसी लोक सेवा या पद के लिए नियुक्त व्यक्ति से है;
- (झ) "विहित" का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों द्वारा विहित से हैं ;
- (ञा) "लोक सेवक" नीचे वर्णित किसी भी प्रकार के व्यक्ति का द्योतक है, और इसके अन्तर्गत धारा 8 की उपधारा (4) के उपबन्धों के रहते हुए, कोई व्यक्ति जो पहले किसी भी समय नीचे वर्णित रूप में रहा हो, भी है, अर्थात्ः—
  - (1) खण्ड (छ) में निर्दिष्ट प्रत्येक मन्त्री;
  - (2) उत्तर प्रदेश राज्यकी विधान सभा या विधान परिषद् का प्रत्येक सदस्य जो मुख्य मन्त्री या खण्ड (छ) में निर्दिण्ट मन्त्री न हो;
  - (3) खण्ड (ज) में निद्गिष्ट प्रत्येक अधिकारी;
  - (4) (क) प्रत्येक क्षेत्र समिति का प्रमुख;

was Sugaryun.

- (ख) प्रत्येक जिला परिषद् का अध्यक्ष;
- (ग) प्रत्येक नगरमहापालिका का नगर प्रमुख;
- (घ) यू० पी० स्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट, 1916 की घारा 2 के खण्ड (4) में यथा परिभाषित किसी सिटी की नगरपालिका का प्रत्येक प्रेसीडेंट;
- (ङ)सहकारी समितियों से सम्बद्ध तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन रिजस्ट्रीकृत किसी जिला स्तर की केंद्रीय समिति अथवा किसी द्योर्ष समिति का कोई अञ्चासकीय सभापति (जिसके अन्तर्गत उक्त विवरण का प्रत्येक पदाधिकारी भी है, चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाय) या प्रबन्ध निदेशक;

स्पद्धीकरण—इस उप खण्ड में "केन्द्रीय सिमिति" का तात्पर्य ऐसी सहकारी सिमिति से है जिसकी सदस्यता में अन्य सहकारी सिमितियां भी सिम्मिलित हों, और ''शीर्ष सिमिति" का तात्पर्य राज्य स्तर की केन्द्रीय सिमिति से है;

- (5) प्रत्येक ऐसा व्यक्ति, जो निम्नलिखित की सेवा में है या उसका बेतन भोगी
  - (क) उत्तर प्रदेश राज्य में कोई भी स्थानीय प्राधिकारी, जिसे राज्य सरकार द्वारा, गजट में तदर्थ अधिसूचित किया जाय;
  - (ख) उत्तर प्रदेश या केन्द्रीय अधिनियम के द्वारा या अधीन स्थापित और राज्य सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण का कोई निगम (स्थानीय प्राधिकारी से भिन्न) जो राज्य सरकार द्वारा तदर्थ गजट में अधिसूचित किया जाय;
  - (ग) कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का केन्द्रीय अधिनियम 1) की धारा 617 के अर्थान्तर्गत कोई सरकारी कम्पनी जिसमें समादत्त अंशपूंजी का 51 प्रतिशत से अन्यून राज्य सरकार या किसी कम्पनी द्वारा धारित है, जो किसी ऐसी कम्पनी की सहायक है जिसमें समादत्त अंशपूंजी का 51 प्रतिशत से अन्यून राज्य सरकार द्वारा धारित है और जिसे राज्य सरकार द्वारा धारित है और जिसे राज्य सरकार द्वारा गजट में तदर्थ अधिसुखित किया जाय;
  - (घ) सोसाइटी रिजस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के अधीन रिजस्ट्रीकृत कोई सोसाइटी जो राज्य सरकार के स्वासित्व या नियंत्रण में है और जिसे उस सरकार द्वारा गजट ने तदयँ प्रधिसूचित किया जाय;
  - (ट) "सचिव" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश सरकार के सचिव से है और इसके अन्तर्गत विशेष सचिव, अपर सचिव और संयुक्त सचिव भी हैं।
- 3—(1) इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार अन्बेषण करने के प्रयोजन के लिये, राज्यपाल, अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा लोक आयुक्त के रूप में ज्ञात होने वाले व्यक्ति और उप लोक आयुक्त या उप लोक आयुक्तों के रूप में ज्ञात होने वाले एक या अधिक व्यक्तियों को नियुक्त करेंगे:

लोक आयुक्त प्रौर उप लोक आयुक्तों की नियुक्ति

#### प्रतिबन्ध यह है कि---

- (क) लोक आयुक्त को उच्च त्यायालय, इलाहाबाद के मुख्य त्यायाधिपति और विधान सभा में विरोधी दल के नेता से और यदि ऐसा नेता न हो तो उस स्यक्ति से, जिसे उस सदन में विरोधपक्ष के सदस्यगण ऐसी रीति से, जैसा अध्यक्ष निदेश हैं, निर्वाचित करें, परामशं करने के पदचात् नियुक्त किया जायेगा,
- (ख) उप लोक आयुक्त या उप लोक आयुक्तों को लोक आयुक्त से परामर्श करने के पश्चात नियुक्त किया जायेगा :

अग्रेतर प्रतिबन्ध यह है कि अध्यक्ष, विधान सभा का यह समाधान हो जाय कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान है जिनके कारण पूर्ववर्ती परन्तुक के खंड (क) के अनुसरण में विरोधी दल के नेता से परामर्श व्यावहारिक नहीं है तो वह राज्यपाल को विधान सभा में विरोधी दल के किसी अन्य सदस्य का नाम सूचित कर सकते हैं जिससे विरोधी दल के नेता की बजाय जकत खंड के अधीन परामर्श किया जायगा।

(2) लोक आयुक्त या उप लोक आयुक्त के रूप में नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति, अपना पद प्रहण करने के पूर्व राज्यपाल के या उनके द्वारा तदर्थ नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष प्रथम अनुसूची में इस प्रयोजन के लिये दिये हुए प्रपत्र के अनुसार शपथ या प्रतिज्ञान करेगा और उस पर हस्ताक्ष र करेगा । (3) उप लोक आयुक्त, लोक आयुक्त के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन होंगे, और विशिष्टतया, इस अधिनियम के अधीन अन्वेषणों के सुविधाजनक निपटारे के प्रयोजन के लिये, लोक आयुक्त, उप लोक श्रायुक्त को ऐसे सामान्य या विशेष निवेश दे सकेगा जो वह आवश्यक समझे:

प्रतिबन्ध यह है कि इस उपधारा की किसी भी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जायगा कि वह कोक आयुक्त को किसी उप लोक आयुक्त की किसी भी उपपत्ति, निष्कर्ष या सिफारिश पर आपत्ति करने के लिए प्राधिकृत करती है ।

लीक प्रायुक्त वा उप लीक प्रायुक्त द्वाराकोई , प्रक्य पद ग्रहण न करना

- 4--लोक आयुक्त ऐसा व्यक्ति होगा जो उच्चतम न्यायालय या किसी उच्च न्यायालय का न्याया-भीश है या रहा है और लोक आयुक्त या उप-लोक आयुक्त ऐसा व्यक्ति होगा जो संसद या किसी राज्य के विधान मण्डल का सदस्य नहीं है और कभी नहीं रहा है और न्यास या लाभ का कोई पद (लोक आयुक्त या यथास्थिति, उप लोक आयुक्त के अपने पद से भिन्न) धारण नहीं करेगा या किसी राजनीतिक दल से सम्बद्ध नहीं होगा या कोई कारबार या वृक्ति नहीं करेगा, और तदनुसार लोक आयुक्त या, यथास्थिति उप लोक आयुक्त के रूप में नियुक्त कोई व्यक्ति अपना पद ग्रहण करने के पूर्व ---
  - क् (क) यदि वह पदासीन न्यायाधीश है या न्यास या लाभ का कोई अन्य पद आरण करता है तो ऐसे पद से त्याग-पत्र दे देगा; या
    - (ख) यदि वह किसी राजनीतिक दल से सम्बद्ध है तो उससे अपना सम्बन्ध विच्छेद कर लेगा; या
    - (ग) यदि वह कोई कारबार कर रहा है तो ऐसे कारबार के संचालन और प्रबन्ध से (स्वामित्व से अपने को वंचित न करते हुए) अपना सम्बन्ध विच्छेद कर लेगा; या
      - (घ) यदि वह कोई वृत्ति कर रहा है तो उस वृत्ति का करना निलम्बित कर देगा।
- 5——(1) लोक आयुक्त या उप लोक आयुक्त के रूप में नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति अपना प्रद ग्रहण करने के दिनांक से पांच वर्ष की अवधि के लिए पर ग्रहण करेगाः

प्रतिबन्ध यह है कि--

- (क) लोक ग्रायुक्त या उप लोक ग्रायुक्त, राज्यपाल को सम्बोधित ग्रपने हस्ताक्षर सिंहत लेख द्वारा ग्रपनी पद त्याग सकेगा;
- (ख) लोक श्रायुक्त या उप लोक श्रायुक्त को, धारा 6 में विनिर्दिष्ट रीति से, उसके पद से हटाया जा सकेगा।
- (2) यदि लोक आयुक्त या उप लोक आयुक्त का पद रिक्त हो जाय, या यदि लोक आयुक्त या उप लोक आयुक्त अनुपस्थिति के कारण या किसी अन्य कारण से, चाहे वह कुछ भी हो, अपने पद के कर्त्तच्यों का पालन करने में असमर्थ हो तो जब तक धारा 3 के अधीन नियुक्त कोई अन्य व्यक्ति उस पद को ग्रहण न कर ले, या, यथास्थिति, लोक आयुक्त या ऐसा उप लोक आयुक्त अपने कर्त्तच्यों का पुनरारस्भ न करे, उन कर्तच्यों का पालनः—
  - (क) जहां लोक ग्रायुक्त का पद रिक्त हो जाय या जहां वह ग्रयने पद के कर्तव्यों का पालन करने में श्रसमर्थ हो वहां उप लोक श्रायुक्त द्वारा श्रयवा यदि दो या श्रिधक उप लोक श्रायुक्त हों तो उम उप लोक श्रायुक्त हों तो उम उप लोक श्रायुक्तों में से ऐसे उप लोक श्रायुक्त द्वारा किया जायगा जिसको राज्यपाल श्रादेश द्वारा निदेश दें,
  - (ख) जहां उप लोक ग्रायुक्त का पद रिक्त हो जाय या जहां वह ग्रपने पद के कर्त्तव्यों का पालन करने में ग्रसमर्थ हो वहां स्वयं लोक ग्रायुक्त हारा या यदि लोक ग्रायुक्त ऐसा निवेश दे तो ग्रन्य उप लोक ग्रायुक्त हारा, या यशस्थिति, ग्रन्य उप लोक ग्रायुक्तों में से ऐसे किसी एक हारा किया जायगा जैसा निवेश में विनिद्धित किया जाय।
- (3) पद पर न रह जाने पर, लोक आयुक्त या उप-लोक आयुक्त उत्तर प्रदेश सरकार के अधीन (लोक आयुक्त या उपलोक आयुक्त के रूप में या किसी भी अन्य हैस्यित से) अग्रेतर सेवायोजन का, या किसी भी ऐसे स्थानीय प्राधिकारी, निगम, सरकारी कम्पनी या सोसाइटी के अधीन जैसी धारा 2 के खण्ड (4) में निर्दिश्ट है, किसी भी सेवायोजन या किसी भी पद का पात नहीं होगा।
- (4) लोक अत्युक्त और उप-लोक आयुक्त को ऐसे वेतन दिये जायेंगे जो द्वितीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट है।
- (5) लोक भ्रायुक्त अथवा उप-लोक भ्रायुक्त को देय भत्ते और पेंशन, यदि कोई हो, भ्रौर उसकी सेवा की भ्रन्य वर्ते ऐसी होंगी जैसी विहित की जायं।

लोक स्नायुक्त स्रोर उप लोक स्नायुक्त की पदा-यिव स्रोर सेवा की स्नन्य शर्त प्रतिबन्ध यह है कि लोक आयुक्त या उप-लोक आयुक्त को देव भन्ने और पेंशन और उनकी सेवा की अन्य शर्तों को विहित करने में——

- (क) लोक आयुक्त को स्थिति में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति को देय भन्ने और पेंचल और उनको सेवा की अन्य वर्ती का घ्यान रखा जायेगा ।
- (ख) उप लोक आयुवत की स्थिति में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को देय भसे और पंजन और उनकी सेवा की अन्य जाती का ध्यान रखा आयेगा :

अप्रेतर प्रतिबन्ध यह है कि लोक आयुक्त या उप लोक आयुक्त को बेग भतों और पेंशन में, यदि कोई हो, और उसकी सेवा की अन्य शर्तों में उसकी नियुक्ति के पश्चात् उसको अलाभकारी कोई परिवर्तुन नहीं किया जायना ।

6--(1) संविधान के अनुच्छेर 311 के उपवन्धों के न्नधीन रहते हुए, लोक न्नायुक्त न्नयवा किसी उप लोक न्नायुक्त की कराचार न्नयवा मसमयता के ग्राधार पर, न कि किसी न्नत्य न्नाधार पर, राज्यपाल द्वारा उसके पर से हुशया जा सकेगा :

लोक स्रायुवत स्रथवा उप लोक स्रायुवत का हटावा जाना

प्रतिबन्ध यह है कि इस प्रकार हटाये जाने से पूर्व उनत अनुच्छेद के खण्ड (2) के प्रधीन की जाने के लिये भ्रयेक्षित जांच--

- (1) लोक स्रायुक्त के सम्बन्ध में, राज्यपाल द्वारा नियुक्त किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा हो की जायगी जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधिपति स्रयचा किसी उच्च न्यायालय का मुख्य नोयाधिपति है स्रयचा रह चुका है, तथा
- (2) किसी उप लोक स्रायुक्त के सम्बन्ध में, राज्यमाल द्वारा नियुक्त किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा की जायगी, जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधिपति है स्रथवा रह चुका है स्रथवा किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधिपति है स्रथवा रह चुका है।
- े (2) उप धारा (1) के प्रतिबन्धात्मक खण्ड के ग्रधीन नियुक्त व्यक्ति ग्रपनी जांच का प्रतिबेदन राज्यपाल को प्रस्तुत करेगा, जो उसे यथाशीत्र, राज्य विधान मण्डल के समक्ष रखवायेंगे ।
- (3) उप धारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, राज्यनाल, लोक भ्रायुक्त श्रथवा किसी उप लोक श्रायुक्त को तब तक नहीं हुटायेंगे जब तक कि इस प्रकार हुटाये जाने के लिए प्रत्येक सदन की समस्त सबस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा उपस्थित श्रीर मतदान करते वाले सबस्यों में से कम से कन दो-तिहाई के बहुमत द्वारा सर्मायत समावेदन राज्यवाल के समक्ष राज्य विधान मण्डल के प्रत्येक सदन द्वारा उसी सब्र में प्रस्तुत न कर दिया जाय।
- 7--(1) इस ग्रन्धिनियम के उपबन्धों के ग्रधीन रहते हुए, ग्रीट परिवाद पर, जिसतें तदर्थ की गई शिकायत या ग्रिभिकथन सिन्निहित हो, लोक ग्रायुक्त किसी ऐसी कायबाही का ग्रन्वेवण कर सकेगा, जो--
  - (1) किसी मन्त्री श्रयवा सचिव, ग्रोर
  - (2) धारा 2 के खण्ड (अ) के उप खण्ड (2) या (4) में निव्धिट किती लोक सेवक; या
  - (3) राज्य सरकार द्वारा लोक श्रायुक्त के परामर्श से तदर्थ अधिसूचित लोक सेवकों के किती वर्ण या उप वर्ग के किसी लोक सेवक से भिन्न किसी श्रन्य लोक सेवक -के द्वारा या सामान्य अथवा विशिष्ट श्रनुमोदन से की गई हो।
- (2) इस ग्रिक्षितियम के उपबन्धों के ग्रधीन रहते हुए, ग्रौर परिश्वाद पर, जिसमें तदयं की पुढ़े शिकायत या ग्रीमकशन सिन्नहित हों, कोई उप लोक श्रायुक्त, किती भी ऐसी कार्यवाही का ग्रस्वेषण कर सकेगा को मध्त्री, सिव्य ग्रथया उप धारा (1) में निहिब्द ग्रथ्य लोक सेवक से भिन्न किसी ग्रस्य-क्रिक नेवक के द्वारा या सामान्य ग्रथवा विशिष्ट ग्रनुमोदन से की गई हो।
- ्रि (३) उप धारा (2) में किती वात के होते हुए भी, लोक आयुक्त, लेखबढ़ ∕किये जाने वाले कारणों से, किन्ही भी ऐसी कार्यवाही का अन्वेषण कर सकेगा, जिसका अन्वेषण उस उपधारा के अधीन उपलोक आयुक्त कर सकता है।
- (4) इस अधिनियस के अधीन यदि दो या अधिक उप लोक आयुक्त नियुक्त किये जायं तो, लोक आयुक्त, सामान्य या विदोष आदेश द्वारा, उनमें से प्रत्येक को ऐसे मामले सौप सकेगा जिसका अन्वेषण इस अधिनियम के अधीन उनके द्वारा किया जा सकेगा :

लोक भ्रायुवत ग्रथवा उप लोक ग्रायुक्त द्वारक ग्रन्वेषणीय मामके

war 7/1981

प्रतिबन्ध यह है कि इस अधिनियम के अधीन किसी उप लोक आयुक्त द्वारा किये गये अन्वेषण और ऐसे अन्वेषण के सम्बन्ध में उसके द्वारा की गई किसी भी कार्यवाही या किये गये कार्य के सम्बन्ध में केवल इस आधार पर आपत्ति नहीं उठाई जायगी कि ऐसा अन्वेषण ऐसे मामले के सम्बन्ध में है जो ऐसे आदेश द्वारा उसे नहीं सौंपा गया है।

वे मामले जिनमें अन्वेषण नहीं किया जायेगा

- 8--(1) एतर्पश्चात् विए गए उपबन्धों के सिवाय, लोक आयुक्त या कोई उप लोक आयुक्त इस अधिनियम के अधीन कोई अन्वेषण नहीं करेगा,--
  - (क) सिवाय परिवाद पर, जो धारा 9 के अधीन और अनुसार किया जाय;
  - (खं) जिस परिवाद में किसी कार्यवाही के सम्बन्ध में शिकायत सन्निहित हो, उस माभले में--
    - (1) यदि ऐसी कार्यवाही तृतीय अनुसूची में विनिद्धिष्ट किसी विषय है के सम्बन्ध में हो;
    - (2) येंदि परिवादी के पास किसी अधिकरण या न्यायालय के समक्ष कार्यवाही के रूप में कोई उपचार है था था :

प्रतिबन्ध यह है कि उप खण्ड (2) की कोई बात लोक आयुक्त या उप लोक आयुक्त को अन्वेषण करने से नहीं रोकेगी, यदि उसका यह समाधान हो जाय कि ऐसा व्यक्ति पर्याप्त कारण से उस उप खण्ड में निर्दिष्ट उपचार का आश्रय नहीं ले सकता है या था:

- (2) लोक आयुक्त या कोई उप लोक आयुक्त किसी ऐसी कार्यवाही के सम्बन्ध में कोई अन्बेषण नहीं करेगा,—
  - (क) जिसके सम्बन्ध में लोक ।वक (जांच) अधिनियम, 1859 (1850 का केन्द्रीय अधिनियम, 37) के अधीन किसी औपचारिक और सर्विजनिक जांच के आदेश भारत सरकार या राज्य सरकार द्वारा दे दिये गये हैं; या
  - (ख) जो ऐसे मामले के सम्बन्ध में है जो जांच आयोग अधिनियम, 1952 (1952 का केन्द्रीय अधिनियम, 60) के अधीन जांच के लिए भारत सरकार या राज्य सरकार द्वारा अभिविष्ट कर दिया गया है।
- (3) लोक आयुक्त या कोई उप लोक आयुक्त ऐसे परिवाद का अन्वेषण नहीं करेगा जो घारी 19 के अधीन जारी की गई अधिसूचना के फलस्वरूप उसकी अधिकारिता से अपर्वीजत हो जाती है।
  - (4) लोक आयुक्त या कोई उप लोक आयुक्त--
    - (क) किसी परिवाद का अन्वेषण नहीं करेगा जिसमें शिकायत सिन्नहित हो, यदि परिवाद उस दिनांक से बारह मास की समाप्ति के पश्चात् किया जाय, जिस दिनांक की परिवादी परिवादित कार्यवाही से अवगत हो जाता है;
    - (ख) किसी परिवाद का अन्वेषण नहीं करेगा जिसमें अभिकथन सिन्नहित हो यदि परिवाद उस दिनांक से पांच वर्ष की समाप्ति के पश्चात् किया जाय जिस दिनांक को परिवादित कार्यवाही का किया जाना अभिकथित है:

प्रतिबन्ध यह है कि लोक आयुक्त या कोई उप लोक आयुक्त खण्ड (क) में निर्दिष्ट परिवाद की प्रहण कर सकता है, यदि परिवादी उसका समाधान कर देता है कि उस खण्ड में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर परिवाद न करने के लिएं उसके पास पर्याप्त कारण था।

- (5) जिल परिवाद में शिकायत सिन्नहित हो, उस मामले में इस अधितियम की किसी वात का अर्थ यह नहीं लगाया जायेगा कि लोक आयुक्त या किसी उप लोक आयुक्त को किसी प्रज्ञासकीय कार्यवाही पर स्रोक्षेप करने की शिक्त प्राप्त है, जिसमें विवेक का प्रयोग सिन्नहित है, किन्त इसकी अपवाद वहां होगा जहां उसका समाधान हो जाय कि दिवेक के प्रयोग में जो तत्व सिन्नहित हैं उनकी अभाव इस सीमा तक है कि यह नहीं माना जा सकता कि विवेक का उचित प्रयोग किया गया है।
- (6) लोक आयुक्त या लोई उप लोक आयुक्त किसी परिवाद का अन्वेषण नहीं करेगा जिस्से धारा 2 के खण्ड (आ) के उप खण्ड (4)या उप खण्ड (5) में निर्दिष्ट लोक सेवक के विरुद्ध शिकायते अग्निहित है।

परिवामों के सम्बन्ध में

उपबन्ध

(७--(1) इस अत्रिनियम के उपवन्धों के अधीन रहते हुए,--

(क) जिसी शिकायत के सम्बन्ध में, व्यथित व्यक्ति द्वारा,

(ख) किसी अभिक्यन के सम्बन्ध में, लोक सेवक से भिन्न किसी व्यक्ति द्वारा— लोक आयुक्त या किसी उप लोक आयुक्त को इस स्रिप्तियम के अधीन परिवाद किया जा सकेंगा है

प्रतिबन्ध यह है कि जहां व्यथित व्यक्ति भर गया हो या किसी कारण से स्वयं कार्य करने में असमर्थ हो, वहां परिवाद किसी भी ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जा सकेगा जो विधि की दृष्टि में उसकी सम्पदा का प्रतिनिधित्व करता है, या यथास्थिति, किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जा सकेगा जो तदर्थ उसके द्वारा प्राधिकृत किया जाय ।

- (2) प्रत्येक परिवाद के साथ उसके समर्थन में नोटरी के समक्ष सत्यापित स्वयं परिवादी का निजी शपथ-पत्र और उन सभी व्यक्तियों के भी शपथ-पत्र होंगे जिनके द्वारा अभियोग से संबंधित तथ्यों की सूचना प्राप्त होने का वह दावा करता है, और अभियोग से सम्बन्धित सभी दस्तावेज होंगे जो उसके कब्जे या उसकी शक्ति में हों।
- (3) इस धारा के अधीन प्रत्येक परिवाद और शपथ-पत्र तथा उससे संलग्न कोई अनुसूची या अनुलग्नक का सत्यापन कमशः अभिवचनों और शपथ-पत्रों के लिए सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया जायगा।

विनिय म

1,1908

- (4) परिवादी द्वारा परिवाद की और उसके अनुलग्नकों की कम से कम तीन प्रतियां प्रस्तुत की जायेंगी।
- (5) कोई ऐसा परिवाद, जिसमें पूर्ववर्ती किसी भी उपबन्ध का अनुपालन नहीं किया गया है, ग्रहण नहीं किया जायगा।
- (6) उपधारा (1) से (5) तक में या किसो अन्य अधिनियमिति में किसी बात के होते हुये भी, पुलिस को अभिरक्षा में या कारागार में या पागल व्यक्तियों के लिये किसी पागललाना या अन्य स्थान में किसी व्यक्ति के द्वारा लोक आयुक्त या उप लोक आयुक्त को लिखित किसी पत्र को बिना खोलें और अधिलव्य युलिस अधिकारी या उस कारागार, पागललाना या अन्य स्थान के प्रभारी अन्य व्यक्तियों द्वारा अग्रसारित किया लायगा और लोक आयुक्त या उप लोक आयुक्त, यथास्थिति, उसको ग्रहण और उसको परिवाद के रूप में मान्य कर सकता है, किन्तु ऐसे परिवाद के सम्बन्ध में कोई कार्यवाहो तब तक रहीं की जायगी जब तक कि वह उपधारा (2) के अथोन श्राय-पत्र संलग्न या समिथित न हो।
- 10--(1) जहां लोक आयुक्त या कोई उप लोक आयुक्त (ऐसी प्रारम्भिक जांच, यदि कोई हो, करने के पश्चात् जो वह ठीक समझे) इस अधिनियम के अधीन कोई अन्वेषण करने का प्रस्ताव करता है, तो वह--
  - (क) उम परिवाद की प्रतिलिपि, सम्बन्धित लोक सेवक को और मम्बन्धित समम प्राधिकारी को भेजेगा;
  - (ख) सम्बन्धित लोक सेवक को उस परिवाद पर अपनी टिप्पणिया प्रस्तुत करने का अवसर प्रवान करेगा; और
  - (ग) अन्वेषण से मुसंगत दस्तावेजों की सुरक्षित अभिरक्षा के सम्बन्ध में ऐसे आदेश वे सकेगा जो वह उचित समझे।
- (2) ऐसा प्रत्येक अन्वेषण असार्वजनिक होगा, और विशेषतः परिवादी तथा अन्वेषण से प्रभावित लोक सेवक का परिचय अन्वेषण के पूर्व, दौरान या पश्चात् जनता या प्रेस के समक्ष प्रकट नहीं किया जायगा:

प्रतिबन्ध यह है कि लोक आयुक्त या कोई उप लोक आयुक्त किसी निश्चित लोक महत्व के मामले से सम्बन्धित कोई भी अञ्जेषण सार्वजनिक रूप से कर सकेगा यदि वह, लेखबद्ध किये जाने वाले कारणों से, ऐसा करना उचित समझे।

- (3) यथापूर्वोक्त को छोड़कर, ऐसा कोई अन्वेषण करने की प्रक्रिया ऐसी होगी, जैसा कि छोक आयुक्त या यथास्थिति, उप छोक आयुक्त मानले की परिस्थितियों में उपयुक्त समझे।
- (4) लोक आयुक्त या कोई उप लोक आयुक्त, अपने विवेकानुसार किसी परिवाद का अन्वेषण करने से जिसमें शिकायत या अभिकथन सन्निहित हो, इन्कार कर सकेगा या उसे करना बन्द कर सकता है, यदि उसकी राय में,——
  - (क) वह परिवाद तुच्छ है या तंग करने के लिये किया गया है, अथवा सद्भावनापूर्वक नहीं किया ग्रमा है; या
  - (ख) अन्वेषण के लिए या, यथास्थिति, अन्वेषण चालू रखने के लिए कोई पर्याप्त आधार नहीं है; या
  - (ग) परिवादी के लिये अन्य उपचार उपलब्ध है और मामले की परिस्थितियों को देखते हुए, परिवादी के लिये उन उपचारों का लाभ प्राप्त करना अधिक उचित होगा।

ग्रन्वेषणों के संबंध में प्रक्रिया

- (5) ऐसे किसी मामले में, जहां लोक आयुक्त या कोई उप लोक आयुक्त किसी परिवाद को भहण नहीं करने का या किसी परिवाद के सम्बन्ध में कोई अन्वेषण बन्द करने का विनिश्चय करें, वहां वह, उसके लिए अपने कारण अभिलिखित करेगा और उन्हें परिवादी तथा सम्बन्धित लोक सेवक को संसूचित करेगा;
- (6) किसी भी कार्यवाही के सन्बन्ध में इस अिन्यम के अधीन किसी अन्वेषण का संचालन ऐसी कार्यवाही को या अन्वेषणाधीन किसी भी मामले के सम्बन्ध में आगे कार्यवाही करने की किसी लोक सेवक की किसी भी शक्ति या कर्तव्य को प्रभावित नहीं करेगा।
- 11—(1) इस धारा के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, इस अितियम के अधीन किसी भी अन्वेषण (जिसमें ऐसे अन्वेषण के पूर्व की प्रारम्भिक जांच भी, यदि कोई हो, सिन्मिलित है) के प्रयोजनार्थ लोक आयुक्त या कोई उप-लोक आयुक्त किसी भी लोक सेवक से या ऐसे किसी भी अन्य व्यक्ति से, जो उसकी राय में उस अन्वेषण से मुसंगत सूचना देने या दस्तावेज प्रस्तुत करने में समर्थ है, ऐसी कोई भी सूचना देने या ऐसा कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत कर सकेंगा।
- (2) लोक आयुक्त या किसी उप-लोक आयुक्त को, ऐसे किसी भी अन्वेषण (जिसमें प्रारम्भिक जांच भी सिम्मिलत है) के प्रयोजनार्थ, निम्मिलिखित बातों के सम्बन्ध में सिमिल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का के द्वीय अधिनियन, 5) के अधीन किसी बाद पर विचार करते समय किसी सिमिल न्यायालय को प्राप्त समस्त शक्तियां प्राप्त होंगी, अर्थात् :--
  - (क) किसी व्यक्ति को सभन करना और उसे उपस्थित होने के लिये बाध्य करना और अपथ पर उसकी परीक्षा करना ;
    - (ल) किसी दस्तावेज को प्रकट और प्रस्तुत करने की अपेक्षा करना;
    - (ग) शपथ-पत्रों पर साक्ष्य प्राप्त करना ;
  - (घ) किसी न्यायालय या कार्यालय से किसी लोक दस्तावेज की या उसकी प्रतिलिपि की अभियाचना करना ;
    - (इ) साक्षियों या दस्तावेजों की परीक्षा के लिये कमीशन जारी करना ; तथा
    - (च) अन्य ऐसे मामले, जो विहित किये जायें।
- (3) लोक आयुक्त या किसी उप-लोक आयुक्त के समक्ष कोई भी कार्यवाही भारतीय वण्ड संहिता, (1860 का केन्द्रीय अधिनियम 45) की धारा 193 के अर्थान्तर्गत न्यायिक कार्यवाही समझी जायगी।
- (4) उपधारा (5) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, गोपनीयता बनाये रखने का कोई आभार या राज्य सरकार या किसी लोक सेवक के द्वारा अभिप्राप्त या उसे दी गई सुचना के प्रकटीकरण पर कोई निर्बन्धन, चाने वह किसी अधिनियमिति द्वारा या विधि के किसी नियम द्वारा आरोपित हो, इस अधिनियम के अधीन किसी अन्वेषण के प्रयोजनार्थ सुचना के प्रकटीकरण पर लागू नहीं होगा और राज्य सरकार या कोई लोक सेवक किसी ऐसे अन्वेषण के सम्बन्ध में वस्तावेजों को प्रस्तुत करने या साक्ष्य देने के वारे में किसी ऐसे विज्ञेषाधिकार का हकवार नहीं होगा, जो विधिक कार्यवाहियों में किसी अधिनियिश्ति या विधि के किसी नियम द्वारा अनुज्ञात है।
- (5) इस श्रिंधिनयम के आधार पर कोई ऐसी सूचना देने, या किसी ऐसे प्रवन का उत्तर देने या किसी दस्तावेज का ऐसा अंध प्रस्तुत करने के लिये किसी व्यक्ति से अपेक्षा नहीं की जायगी न उसको प्राधिकृत किया जायगा——
  - (क) जिससे कि राज्य की सुरक्षा या भारत की प्रतिरक्षा या उसके अन्तर्राब्द्रीय सम्बन्धों (जिसमें किमी भी अन्य देश की सरकार के साथ या किसी अन्तर्राब्द्रीय संगठन के साथ भारत के सम्बन्ध भी सम्मिलित हैं) पर या अपराध के अन्वेषण या पता लगाने पर प्रतिकृत प्रभाव पड़ सके ; या
  - (ख) जिसमें कि राज्य सरकार के मंत्रिमंडल या उस मंत्रिमंडल की किसी समिति की कार्यवाहियों का प्रकटीकरण सिम्निहित हो;

और इस उपधारों के प्रयोजनार्थ, मुख्य सिचव द्वारा जारी किया गया ऐसा प्रमाण-पन्न बाध्यकर और निरुचायक होगां जिसमें यह प्रमाणित किया गया हो कि कोई भी सूचना, उत्तर या बस्तावेज का अंश, खण्ड (क) या खण्ड (ख) में विनिर्दिष्ट प्रकृति का है।

- (6) उपधारा (4) के अधीन रहते हुए, इस अितियम के अधीन अन्येषण के प्रयोजनार्थ किसी भी व्यक्ति को ऐसा कोई भी साक्ष्य देने या ऐसा कोई भी दस्तावेज पेश करने के लिये विवश नहीं किया जायगा, जिसे किसी न्यायालय के समक्ष कार्यवाहियों में देने या पेश करने के लिए विवश नहीं किया जा सकता हो।
- 12--(1) यदि किसी कार्यवाही के अन्वेषण के पश्चात् जिसके सम्बन्ध में परिवाद किया। गया है, जिसमें शिकायत सिन्निहित है लोक आयुक्त या किसी उप लोक आयुक्त का यह सभाधान हो जाय कि ऐसी कार्यवाही के परिणामत्वरूप परिवादी या किसी अन्य व्यक्ति के साथ अन्याय हुआ है अथवा इसे अनुचित कप्ट हुआ है, तो लोक आयुक्त अथवा उप लोक आयुक्त लिखित प्रतिवेषन द्वारा सम्बद्ध

साक्ष्य

लोक ग्रायुक्त तथा उप-लोक आयुक्त का प्रतिबेदन लोक सेवक और सक्षम प्राधिकारी से यह सिफारिश करेगा कि ऐसे अन्याय अथवा अनुचित कष्ट का उपचार या निवारण ऐसी रीति से और ऐसे छमय के भीतर करना होगा जिसे प्रतिवेदन में विनिदिष्ट किया जाय।

- (2) सक्षम प्राधिकारी जिसे उपघारा (1) के अधीन प्रतिवेदन भेजा जाय, प्रतिवेदन में विनिद्धिंद्ध अवधि की समाप्ति से एक मास के भीतर, लोक आयुक्त या, यथास्थिति, उप लोक आयुक्त को प्रतिवेदन का अनुपालन करने के लिये की गयी कार्यवाही की सूचना देगा अथवा दिलवायेगा।
- (3) यदि किसी कार्यवाही के अन्वेषण के पश्चात् जिसके सम्बन्ध में कोई परिवाद किया गया है जिसमें अभिकथन सिन्निहित है, लोक आयुक्त अथवा किसी उप लोक आयुक्त का समाधान हो जाय कि ऐसे अभिकथन को पूर्णतः या अंशतः सिद्ध किया जा सकता है तो वह लिखित प्रतिवेदन द्वारा सुसंगत दस्तावेजों, सामग्री तथा अन्य साक्ष्य के सिहत, अपने निष्कर्ष तथा सिफारिश को सक्षम प्राधिकारी को संसूचित करेगा।
- (4) सक्षम प्राधिकारी, उपधारा (3) के अधीन उसे भेजें गये प्रतिवेदन की परीक्षा करेगा और प्रतिवेदन की प्राप्ति के दिनांक से तीन मास के भीतर लोक आयुक्त या, यथा स्थिति, उप लोक आयुक्त को, प्रतिवेदन के आधार पर की गई या की जाने के लिये प्रस्तावित कार्गवाही प्रज्ञापित करेगा।
- (5) यदि लोक आयुक्त या उप लोक आयुक्त का उपधारा (1) तथा उपधारा (3) में निविद्य उसकी सिफारिशों या निष्कर्षों पर की गई या की जाने के लिये प्रस्तावित कार्यवाही से समाधान हो जाय तो वह सम्बद्ध परिवादी, लोक सेवक तथा सक्षम प्राधिकारी को, सूचित करते हुये मामले को समाध्त कर देगा, परन्तु जहां उसका इस प्रकार समाधान न हो और यदि वह नामले को इस योग्य समझे तो वह राज्यपाल को उसके बारे में एक विशेष प्रतिवेदन भेज सकेगा तथा अम्बद्ध परिवादी को भी उसकी सूचना दे सकेगा।
- (6) लोक आयुक्त तथा सभी उप लोक आयुक्त, इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों के सम्पादन के सम्बन्ध में एक समेकित प्रतिवेदन प्रति वर्ष राज्यपाल को प्रस्तुत करेंगे।
- (७) उपधारा (५) के अधीन विशेष प्रतिबंदन या उपधारा (६) के अधीन वार्षिक प्रतिबंदन प्राप्त होने पर राज्यपाल, उसकी एक प्रतिलिपि, स्पष्टीकरण ज्ञापन सिंहत, राज्य विधान मण्डल के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवायेंगे।
- ैं (8) धारा 10 की उपधारा (2) के उपबन्धों के अधीन रहते हुये, लोक आयुक्त अपने द्वारा अथवा उप लोक आयुक्त द्वारा समाप्त किये गये या अन्यथा निपटाये गये मामलों का सारांश, जो उसे सामान्य, शैक्षिक या वृत्तिक अभिक्षिच का प्रतीत हो, ऐसी रीति से तथा ऐसे व्यक्तियों को समय-समय पर स्विविवेकानुसार उपलब्ध करा सकेगा, जिन्हें वह उपयुक्त समझे।
- 13——(1) इस अधिनियम के किसी अन्य उपबन्ध में किसी बात के होते हुये भी, ऐसे प्रत्येक ध्यक्ति को जो इस अधिनियम के अधीन जानबूझ कर या दुर्भाव से कोई मिण्या परिवाद करता है, दोष सिद्ध होने पर कारावास का दण्ड दिया जायगा जिसकी अवधि तीन वर्ष तक हो सकेगी और वह जुर्माने का भी दायी होगा।

मिण्या परिवाद के मामले में कार्य-वाही

- (2) लोक आयुक्त द्वारा अन्वेषित किसी परिवाद के मामले में सेशन न्यायालय के अथवा उपलोक आयुक्त द्वारा अन्वेषित किसी परिवाद के मामले में प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के न्यायालय के शिवाय, कोई न्यायालय उपधारा (1) के अधीन अपराध का संज्ञान नहीं करेगा।
- (3) ऐसा कोई न्यायालय यथापूर्वोक्त ऐसे अपराध का संज्ञान, यथास्थिति, लोक आयुग्त या उपलोक आयुक्त के निदेश पर लोक अभियोजक द्वारा किये गये लिखित परिवाद पर करेगा अन्यथा वहीं और सेशन न्यायालय ऐसे परिवाद पर अपराध का संज्ञान दृष्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 में किसी आत के होते हुए भी मामला उसको सुपुर्व न किये जाने पर भी कर सकेगा।
- ि (4) ऐसा न्यायालय, मिथ्या परिवाद करने वाले व्यक्ति के दोषी सिद्ध होने पर, जुमनि की राज्ञि में से परिवादी को प्रतिकर के रूप में ऐसी राज्ञि दे सकेगा जो वह उचित सरुझे।
- (5) यदि लोक आयुक्त अथवा किसी उप लोक आयुक्त को उस के समक्ष इस अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाही के किसी प्रक्रम पर यह प्रतीत हो कि ऐसी कार्यवाही में उपस्थित होने वाले किसी व्यक्ति ने अथवा किसी ऐसे व्यक्ति ने जिसने इस अधिनियम के अधीन किये गये परिवाद के समर्थन में बोई शपथ-पत्र दाखिल किया है, जानते हुए या जानबूझ कर मिश्या साक्ष्य दिया है या इस आश्राय से निश्या साक्ष्य गढ़ा है कि ऐसा साक्ष्य ऐसी कार्यवाही में प्रयुक्त किया जाय, तो यदि, प्रभारिथित, लोक आयुक्त अथवा उप लोक आयुक्त का यह समाधान हो जाता है कि न्याय के जित में मिस आवश्यक और सक्षी बीन है कि उस व्यक्ति का, यथास्थित, मिश्या साक्ष्य देने व गढ़ने के लिये

संक्षिप्त विचारण किया जाना चाहिये तो वह ऐसे अपराध का संज्ञान कर सकेगा और अपराधी को ऐसा कारण दिव्त करने का कि क्यों न उसे ऐसे अपराध के लिये दिख्त किया जाय, उचित अवसर देने के पश्चात ऐसे अपराधी का संक्षिप्त विचारण यथासम्भव, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अधीन संक्षिप्त विचारण के लिए विहित प्रक्रिया के अनुसार कर सकता है और उसे, कारावास से जिसकी अवधि छः मात तक की हो सकेगी अथवा जुर्माने से जो पांच हजार रुपये तक हो सकेगा अथवा दोनों से दिण्डत कर सकेगा।

- (6) जब कोई ऐसा अपराध, जैसा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 175, धारा 178, धारा 179 या धारा 180 में विणत है, लोक आयुक्त या उप लोक आयुक्त की दृष्टिगोचरता या उपस्थित में किया जाता है, तब वह अपराधी को अभिरक्षा में निरुद्ध करा सकता है और उसी दिन किसी समय अपराध का संज्ञान कर सकता है और अपराधी को ऐसा कारण बीं ज्ञत करने का, कि क्यों न उसे इस धारा के अधीन दिण्डत किया जाय, उचित अवसर देने के पश्चात अपराधी को सादा कारावास से जिसकी अवधि एक मास तक की हो सकेगी या जुर्माना से जो पांच सो रुपये तक हो सकेगा या दोनों से दिण्डत कर सकेगा।
- (7) उपधारा (6) के अबीन विचारित प्रत्येक मामले में, यथास्थिति, लोक आयुक्त अथवा उप लोक आयुक्त वे तथ्य जिनसे अपराध बनता है उनको अपराधी द्वारा किए गए कथन के (यदि कोई हो) सहित तथा निष्कर्ष और वण्डादेश को भी अभिलिखित करेगा।
- (8) उपधारा (5) अथवा उपधारा (6) के अधीन किए गए विचारण में सिद्ध दोष कोई व्यक्ति उच्च न्यायालय में अपील कर सकता है, और दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अध्याय 29 के उपबन्ध, जहां तक वे लागू हो सकते हैं, इस उपधारा के अधीन अपीलों पर लागू होंगे, और अपील न्यायालय निष्कर्ष को परिवर्तित कर सकता है या उलट सकता है या उस दण्ड को, जिसके विषद्ध अपील की गयी है, कम कर सकता है या उलट सकता है।
- (9) चण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 में समाविष्ट किसी बात के होते हुए भी, उपधारा (5), (6), (7) तथा (8) के उपबन्ध प्रभावी होंगे किन्तु इन उपधाराओं की कोई बात किसी ऐसे अपराध के सम्बन्ध में, यथास्थित, लोक आयुक्त अथवा उप लोक आयुक्त की उपधारा (3) के अधीन कार्यवाही करने की शिक्त पर प्रभाव नहीं डालेगी, जहां वह उपधारा (5), (6) तथा (7) के अधीन कार्यवाही करना पसन्द न करें।
- (10) शब्द तथा पद, जो उपधारा (5) से (9) में प्रयुक्त किए गए हैं और जिन्हें इस अधिनियम में परिभाषित नहीं किया गया है, उनके वही अर्थ होंगे जो दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 में हैं।

लोक श्रायुक्त तथा उप लोक आयुक्तों का कर्मवारिवर्ग 14—(1) इस अधिनियम के अधीन लोक आयुक्त तथा उप लोक आयुक्तों को, उनके कृत्यों के निष्णादन में सहायता देने के लिये, लोक आयुक्त अधिकारियों तथा अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति कर सकेगा या करने के लिए किसी उप लोक आयुक्त को अथवा लोक आयुक्त या किसी उप लोक आयुक्त के अधीनस्थ किसी अधिकारी को प्राधिकृत कर सकेगा:

प्रतिबन्ध यह है कि इस उपधारा की किसी बात का यह अर्थ नहीं किया जायगा कि वह किसी व्यक्ति को, जो केन्द्रीय या राज्य सरकार के अधीन पर धारण करता हो, उस सरकार की सहमित से प्रतिनियुक्ति के लिए रोकती है।

- (2) उपधारा (1) के अधीन नियुक्त किये जाने वाले अधिकारियों तथा कर्मचारियों की संख्या तथा प्रवर्ग, उनके वेतन, भने तथा सेवा की अन्य शर्ते एवं लोक आयुक्त और उप लोके आयुक्तों की प्रशासनिक शिवतयां ऐसी होंगी, जैसी कि लोक आयुक्त से परामर्श के पश्चात् किये गये राज्य सरकार के सामान्य या विशेष आदेश द्वारा अवधारित की जायें।
- (3) उपधारा (1) के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, लोक आयुक्त याँ उप लोक आयुक्त, इस अधिनियम के अधीन अन्वेषण करने के प्रयोजनार्थ--
  - (1) राष्य या केन्द्रीय सरकार के किसी भी अधिकारी या अन्वेषण एकेन्सी की सेवाओं का, उस सरकार की सहसति से; या
    - (2) अन्य किसी व्यक्ति या एजेन्सी की सेवाओं का, उपयोग कर सकेंगे।

सूचना की गोपनीयता 15—(1) इस अधिनियम के अभीन किसी अन्वेषण के दौरान या प्रयोजनार्थ, लोक आयुवत या उप लोक आयुवत या उनके कर्मचारियों द्वारा अभिप्राप्त कोई सूचना तथा ऐसी सूचना के सम्बन्ध में अभिलिखित या एकत्रित कोई साक्ष्य, धारा 10 की उपधारा (2) के प्रतिबन्धारमण खण्ड के उपबन्धों के अभीन रहते हुए, गोपनीय नाने जायेंगे और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (1872 का केन्द्रीय अधिनियम 1) में किसी बात के होते हुए किसी भी न्यायालय की यह हक नहीं

होगा कि वह लोक आयुक्त या किती उप लोक आयुक्त या किसी लोक सेवक को ऐसी सूचना के सम्बन्ध में साक्ष्य देने के लिए या इस प्रकार अभिलिखित या एकत्रित साक्ष्य को पेश करने के लिए बाध्य करें।

- (2) उपधारा (1) की कोई बात,—
- (क) अन्वेषण के प्रयोजनार्थ या उसके बारे में किए जाने वाले किसी प्रतिवेदन में या ऐसे प्रतिवेदन पर को जाने वाली किसी कार्यवाही, या कार्यवाहियों (प्रोसीडिंग्स)के लिए; या
- (ख) आफिशियल सीकेट्स ऐक्ट, 1923 (1923 का केन्द्रीय अधिनियम 19) के अधीन किसी अपराध या भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (1860 का केन्द्रीय अधिनियम 45) के अधीन मिथ्या साक्ष्य देने या गढ़ने के अपराध के सम्बन्ध में किसी भी कार्यवाही के प्रयोजनों के लिये या धारा 13 के अधीन किसी अपराध पर विचारण या धारा 16 के अधीन किसी भी कार्यवाही के प्रयोजनों के लिये; या
- (ग) ऐसे अन्य प्रयोजनों के लिए जो विहित किये जायं; कोई सूचना या विझिष्टियां प्रकट करने पर लागू नहीं होंगी ।
- (3) तदर्थ विहित कोई श्रिधकारी या अन्य प्राधिकारी यथास्थित, लोक आयुक्त अथवा उप लोक आयुक्त को लिखित नोटिस दे सकेगा कि नोटिस में विनिर्विष्ट किसी भी दस्तावेज या सूचना अथवा इस प्रकार विनिर्विष्ट दस्तावेजों या सूचना के किसी भी वर्ग के सम्बन्ध में राज्य सरकार की राय में दस्तावेजों या सूचना या उस वर्ग की सूचना या दस्तावेजों को प्रकट करना लोक हित के विष्ट होगा और जहां ऐसी कोई नोटिस दे दी जाय वहां इस अधिनियम की किसी भी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जायना कि उसके द्वारा लोक आयुक्त, उप लोक आयुक्त या उनके कर्मचारियां का कोई भी सदस्य नोटिस में विनिर्विष्ट किसी भी दस्तावेज या सूचना को या इस प्रकार विनिद्धिट किसी वर्ग के किसी दस्तावेज या सूचना को किसी व्यक्ति को संसूचित करने के लिए प्राधिकृत या अपेकिल है, जब तक कि लोक आयुक्त या उप लोक आयुक्त की अभिलिखित कारणों से यह राय न हो कि ऐसे दस्तावेज या सूचना के प्रकटीकरण में लोक हित सिन्निहित नहीं है।
- 16—(1) जो कोई लोक आयुक्त या उप लोक आयुक्त का उस समय जबिक लोक आयुक्त या उप लोक आयुक्त इस ग्रिधिनियम के अधीन किसी अन्वेषण का संचालन कर रहा हो साशय कोई अपमान करता है, या उसके कार्य में कोई विध्न डालता है, वह दोषी सिद्ध होने पर सादा कारावास से जिसकी अविध छ: मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जायेगा।
- (2) जो कोई या तो बोले गये या पढ़े जाने के लिये आज्ञायित शब्दों द्वारा ऐसा कोई कथन करता है या प्रकाशित करता है या कोई अन्य कार्य करता है, जो लोक आयुक्त या उप लोक आयुक्त की अपकीर्ति के लिए प्रकिल्पत हो वह दोषी सिद्ध होने पर सादा कारावास से जिसकी अविधि छ: मास तक की हो सकती है या जुर्माने से, या दोनों से दंडित किया जायगा।
- (3) दण्ड प्रिक्तया संहिता, 1973 (1974 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 2) की धारा 199 की उपधारा (2) से (6) के उपबन्ध उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन किसी अपराध के सम्बन्ध में उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार व उक्त धारा 199 की उपधारा (2) में निर्दिष्ट किसी अपराध के सम्बन्ध में लागू होते हैं, परन्तु इस परिष्कार के अधीन कि ऐसे अपराध के सम्बन्ध में लोक अभियोजक द्वारा कोई भी परिवाद—
  - (क) लोक आयुक्त के विरुद्ध किसी अपराध के मामले में, लोक आयुक्त की,
  - (स) उप लोक आयुक्त के विरुद्ध अपराध के मामले में; सम्बन्धित उपलोक आयुक्त की, पूर्व स्वीकृति के बिना नहीं किया जायगा ।
- 17--(1) इस अधिनियम के अधीन सद्भावना से किये गये या किये जाने के लिए आशियत किसी भी कार्य के सम्बन्ध में , लोक आयुक्त या उप लोक आयुक्त या धारा 14 में निर्विष्ट किसी अधिकारी, कर्मचारी, एजेन्सी या व्यक्ति के विषद्ध कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं की जायगी।

(2) लोक आयुक्त या उप लोक आयुक्त की कोई कार्यवाही ग्रीपचारिकता के अभाव में गलत नहीं मानी जायगी, और लोक आयुक्त या उप लोक आयुक्त की किसी भी कार्यवाही या विनिश्चय को, अधिकारिता के आधार का अपवाद करते हुए, किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जायगी, ज उसका पुनविलोकन या अभिखंडन किया जायगा, न उस पर कोई आपित्त की जायगी।

लोक श्रायुक्त या उप लोक श्रायुक्त का साशय ग्रयमान या विष्न या उसकी श्रपकीित करना

संरक्षण

लोक ग्रायुक्त और उप लोक ग्रायुक्त द्यादिको ग्रस्ति-रिक्त कृत्यों का प्रदान <sup>(</sup>कया जाना

- 18--(1) राज्य सरकार, गजट में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा और लोक आयुक्त से परामर्श करने के पश्चात्, यथास्थिति, लोक आयुक्त या किसी उप लोक आयुक्त के, भ्रष्टाचार के उन्मूलन के सम्बन्ध में ऐसे अतिरिक्त कृत्य प्रदान कर सकती है जो अधिसूचना में विनिदिष्ट किये जायं ।
- (2) राज्य सरकार, लिखित आदेश द्वारा एवं लोक आयुक्त से परामशं करने के पश्चात् लोक आयुक्त या किसी उप लोक आयुक्त को भ्रष्टाचार के उन्मूलन के लिए राज्य सरकार द्वारा स्थापित, गठित या नियुक्त एजेंसियों, प्राधिकारियों या अधिकारी वर्ग के ऊपर पर्यवेक्षण करने की शक्तियां प्रदान कर सकेगीं।
- (3) राज्य सरकार, लिखित आदेश द्वारा एवं ऐसी शर्ती और निर्बन्धनों के अधीन रहते हुए, जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जायें, लोक आयुक्त से किसी भी कार्यवाही का जो ऐसी कार्यवाही हो, (जिसके सम्बन्ध में इस अधिनियम के अधीन लोक आयुक्त या किसी उप लोक आयुक्त को परिवाद किया जा सकता हो) अन्वेषण करने की अपेक्षा कर सकेगी और इस अधिनिष्म में किसी बात के होते हुए भी लोक आयुक्त ऐसे आदेश का पालन करेगाः

अतिबन्ध यह है कि लोक आयुक्त ऐसी किसी भी कार्यवाही का (जो ऐसी कार्यवाही हो जिसके सम्बन्ध में इस अधिनियम के अधीन किसी उप लोक आयुक्त को परिवाद किया जा सकता हो ) अन्वेषण किसी उप लोक आयुक्त को सौंप सकेगा ।

(4) जब लोक आयुक्त अथवा उप लोक आयुक्त को उपधारा (1) के अधीन कोई अतिरिक्त कृत्य प्रदान किये जायें अथवा जब लोक आयुक्त अथवा उप लोक आयुक्त को उपधारा (3) के अधीत किसी कार्यवाही का अन्वेषण करना हो, तब लोक आयुक्त अथवा उप लोक आयुक्त उन्हीं शक्तियों का प्रयोग एवं उन्हीं कृत्यों का निर्वहन करेगा जिनका प्रयोग वह किसी परिवाद पर जिसमें कोई अश्विकथन सिन्निहित हो, किये जाने वाले अन्वेषण के मामले में करता और इस अधिनियम के उपबन्ध तद्नुसार लागू होंगे।

लोक सेवक को कतिपय वर्गीके विरुद्ध परिवादों को ग्रपवर्जित करने की शक्ति

19--(1) राज्य सरकार लोक आयुक्त के प्ररामर्श से तथा उसका इस बात से समाधान हो जाने पर कि लोक हित में ऐसा करना ग्रावश्यक अथवा समोचीन है, गजट में अधिसूचना द्वारा, अधि-सूचना में विनिद्दिष्ट लोक सेवकों के किसी भी वर्ग के व्यक्तियों के विरुद्ध परिवादों को जिनमें शिकायत या अभिकथन सिन्निहित हो, लोक आयुक्त अथवा, यथास्थिति, उप लोक आयुक्त की अधिकारिता से अपर्वाजत कर सकेगी ः

प्रतिबन्ध यह है कि कोई ऐसी अधिसूचना उन लोक सेवकों के सम्बन्ध में जारी नहीं की जायगी ै जो एक हजार एपये या अधिक के न्यूनतम मासिक वतन (भत्तों को छोड़कर) वाले पद धारण कर रहे 🧖 हों।

(2) उपधारा (1) के अधीन जारी की गयी प्रत्येक अधिसूचना जारी किये जाने के पश्चात् यथाशीं व्र राज्य विधान मण्डल के प्रत्येक सदन के समक्ष जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिये जो एक सत्र या एकाधिक आनुक्रमिक सत्रों में हो सकती है, रखी जायगी और यदि उक्त अवधि की समाप्ति के पूर्व सदन अधिसूचना में कोई परिष्कार करने के लिये सहमत हो अयवा सदन इस बात से सहमत हो कि अधिसूचना का अभिश्नन्यन किया जाना चाहिये, और ऐसा निर्णय सरकारी गजट में ब्रधिसूजित कर दें तो अधिसूचना ऐसे निर्णय के प्रकाशन के दिनांक से केवल ऐसे परिष्कृत रूप से प्रभावी होगी अथवा, यथास्थिति, प्रभावहीन हो जायगी, किन्तु इस प्रकार का कोई परिष्कार या अभिशून्यन उक्त अधिसूचना के कारण पहले की गयी किसी बात की वैधता पर प्रतिकूल प्रभाव न डालेगा ।

प्रत्यायोजन की शवित

शक्ति

2०—लोक आयुक्त अथवा उप लोक आयुक्त किसी लिखित सामान्य अथवा विज्ञेष आदेश 🗸 द्वारा निदेश दे सकेगा कि इस अधिनियम के अधीन या द्वारा उसको प्रदत्त किन्हीं भी शक्तियों अथवा उस पर आरोपित किन्हीं भी कर्त्तव्यों (धारा 12 के अधीन राज्यपाल का प्रतिवेदन देने की शक्ति के सिवाय) का प्रयोग या पालन धारा 14 में निर्दिष्ट अधिकारियों, कर्मचारियों अथवा ऐसे अधिकारियों, <del>कर्मचारियों अथना</del> एजेंसियों द्वारा भी किया जा सर्कगा, जो आदेश में निर्दिष्ट किये जायें ।

नियम बनाने की

- 21--(1) राज्य सरकार इस श्रिधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के प्रयोजन के लिए गजट में अधिसूचना द्वारा नियम बना सकती है।
- (2) विशिष्टतः और पूर्वगामी उपबन्धों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिनी 📜 इन नियमों में निम्निलिखित की व्यवस्था की जा सकती है:--
  - (क) धारा 2 के खण्ड (ग) के उप खण्ड (2) के अधीन विहित किये जाने के निमित्त अपेक्षित प्रयोजन के लिये प्राधिकारी;
  - (ন্ধ) लोक आयुक्त और उप लोक आयुक्तों को देय भन्ते और पेंग्नन, यदि कोई हो, एर्ब् सेवा की अन्य शर्ते;
  - (ग) प्रपत्र, यदि कोई हो, जिसमें परिवाद किया जा सकेगा तथा फीस, यदि कोई हो, जी उसके सम्बन्ध में ली जा सकेगी, और जिस व्यक्ति के विरुद्ध अभिकथन किया जाय उसके विषद्ध खर्चे के लिए प्रतिभूति, यदि कोई हो, जिसे देना अपेक्षित हो;

- (ध) किसी सिधिल न्यायालय की शक्तियां जो लोक झायुक्त श्रथवा किसी उप लोक भ्रायुक्त द्वारा प्रयुक्त की जा सकेंगी ;
- (ङ) कोई भी अन्य विषय जो विहित किया जाना है अथवा किया जा सकता है या जिसके सम्बन्ध में इस अधिनियम में कोई उपबन्ध नहीं है अथवा अपर्याप्त उपबन्ध है और राज्य सरकार की राय में इस श्रधिनियम के समुजित कार्यान्वयन के लिए उपबन्ध होना आवश्यक है ।
- (3) इस अधिनियम के अधीन बनाये गये सभी नियम बनाये जाने के पश्चात् यथाशीझ राज्य विधान मण्डल के प्रत्येक सदन के समक्ष जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिये जो एक सत्र या एकाधिक आनुक्रमिक सत्रों में हो सकता है, रखा जायगा और यदि उक्त अवधि के दौरान सदन नियम में कोई परिष्कार करने के लिये सहमत हो अथवा सदन इस बात से सहमत हो कि नियम का अभिश्चन्यन किया जाना चाहिये और ऐसा निर्णय सरकारी गजट में अधिसूचित कर दें तो नियम ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन के दिनांक से केवल ऐसे परिष्कृत रूप में प्रभावी होगा अथवा ययास्थित, प्रभावहीन हो जायगा, किन्तु इस प्रकार का कोई परिष्कार या अभिश्चन्यन उक्त नियम के अधीन पहले की गई किसी बात की वैयता पर प्रतिकृत प्रभाव न डालेगा।

22--सन्देहों को दूर करने के लिए एतद्द्वारा यह घोषित किया जाता है कि इस ग्रिधिनियम में किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जायगा कि वह लोक आयुक्त अथवा उप लोक आयुक्त को--

्सन्देहों का दू**र** किया जाना

- (क) उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति या किसी न्यायाधीश अथवा संविधान के अनुच्छेद 236 के खण्ड (ख) में यथा परिभाषित-न्यायिक-सेवा के किसी सदस्य,
  - (ख) किसी भी न्यायालय के किसी अधिकारी अथवा सेवक,
  - (ग) महालेखाकार, उत्तर प्रदेश,
- (घ) उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष अथवा किसी सदस्य, या उसके कर्म-चारिवर्ग के किसी सदस्य,
- (ङ) र् संविधान के अनुच्छेद 324 में निर्दिष्ट मुख्य निर्वाचन आयुक्त, निर्वाचन आयुक्तों एवं प्रादेशिक आयुक्तों तथा मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश,
- (च) राज्य विधान मण्डल के किसी सदन के सिचवालय के कर्मचारिवर्ग के किसी सदस्य, के विरुद्ध किसी <u>परिवाद</u> का अन्वेषण करने के लिए प्राधिकृत करती है ।

23—इस अधिनियम के उपबन्ध किसी भी ऐसी अन्य अधिनियमिति या विधि के किसी नियम के उपबन्धों के अतिरिक्त होंगे जिनके अधीन इस अधिनियम के अधीन परिवाद करने वाले व्यक्ति को किसी अन्य रीति से, कोई उपचार उपलब्ध है और इस प्रधिनियम की कोई भी बात ऐसे व्यक्ति के ऐसे उपचार का लाभ उठाने के अधिकार को सीमित अथवा प्रभावित नहीं करेगी।

ग्रपवाद

24--- उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त तथा उप लोक आयुक्त अध्यादेश, 1975 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है

निरसन

# प्रथम भ्रनुसूची

#### [धारा 3 (2) देखिये]

में,.....जो लोक ग्रायुक्त/उप लोक ग्रायुक्त नियुक्त हुआ हूं ईश्वर की शपथ लेता हूं/सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि में विधि द्वारा यथास्थापित भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा ग्रौर निष्ठा रखूंगा तथा में सम्यक् प्रकार से ग्रौर श्रद्धापूर्वक तथा श्रपनी पूरी योग्यता, ज्ञान एवं विवेक से श्रपने पद के कर्त्तंच्यों का भय तथा पक्षपात, ग्रनुराग या द्वेष के बिना पालन करूंगा।

# द्वितीय ग्रनुसूची

### [धारा 5(4) देखिये]

लोक श्रायुक्त श्रौर उप लोक श्रायुक्त को वास्तविक सेवा में बिताए समय के बारे में निम्न-लिखित दर से प्रति मास वेतन दिया जायगा, श्रर्थात्:——

लोक आयुक्त—लोक आयुक्त के रूप में नियुक्त ऐसे व्यक्ति की दशा में जो किसी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति या उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में सेवानिवृत्त हुआ हो, या लोक आयुक्त के रूप में अपनी नियुक्ति के ठीक पूर्व उक्त पद पर रहा हो, 4,000 रुपये, किसी अन्य दशा में 3,500 रुपये;

उप लोक ग्रायुक्त--उप लोक ग्रायुक्त के रूप में नियुक्त ऐसे व्यक्ति की दशा में जो किसी उच्च श्यायालय के न्यायाधीश के रूप में सेवानिवृत्त हुन्ना हो, या उप लोक स्रायुक्त के रूप में स्रपनी नियुक्ति के ठीक पूर्व उक्त पद पर रहा हो, 3,500 रुपये, किसी भ्रन्य दशा में 3,000 रुपये:

प्रतिबन्ध यह है कि यदि लोक **ग्रायुक्त या उप लोक ग्रायुक्त को** श्रयनी नियुक्ति के समय भारत खरका हकी या उसकी पूर्ववर्ती सरकारों में से किसी की ग्रथवा राज्य सरकार की या उसकी पूर्ववर्ती सरकारों में से किसी की पहिले की गई सेवा के बारे में (नियांग्यता या क्षत पेंशन के ग्रतिरिक्त) कोई पेंशन मिलती हो तो लोक आयुक्त या, यथास्थिति, उप लोक आयुक्त की हैसियत से सेवा के बारे में उसके वेतन में से निम्नलिखित राशियाँ घटा दी जायेंगी:---

- (क) पेंशन की राशि; ग्रौर
- (ख) यदि उसने ऐसी नियुक्ति से पूर्व, ऐसी पूर्व सेवा के सम्बन्ध में, अपने को देय पेंशन के एक भाग के बदले में उसका संराशीकृत मूल्य प्राप्त किया हो तो पेंशन के उस भाग की राशि, ग्रौर
- (ग) यदि उसने ऐसी नियुक्ति से पूर्व, ऐसी पूर्व सेवा के सम्बन्ध में निवृत्ति-उपदान प्राप्त किया हो तो उस उपदान का पेंशन समत्त्य ।

## तृतीय ग्रनुसूची [धारा 8(1)(ख)(1) देखिये]

- 🏿 (क) अपराधका ग्रन्वेषण करने ग्रथवा राज्य की सुरक्षा के प्रयोजनार्थ की गई कार्यवाही
- (ভ) यह स्रवधारित करने के सम्बन्ध में कि न्यायालय में कोई मामला जायगा या उसका श्रिभियोजन जारी रहेगा या नहीं, शक्तियों का प्रयोग करके की गयी कार्यवाही ।
- (ग) उन विषयों में जो ग्राहकों या पूर्तिकर्ताभ्रों के साथ, यथास्थिति, सरकार या स्थानीय प्राधिकारी या स्रन्य निगम, कम्पनी, या सोसाइटी के प्रशासन के केवल वाणिज्यिक सम्बन्धों को नियंत्रित करने वाली संविदा के नियन्धनों से प्रोद्भूत हो, की गई कार्यवाही, सिवाय उस दशा के जब परिवादी संविदायी स्राभार को पूरा करने में परेशानी स्रथवा घोर विलम्ब का स्रभि-कथन करताहो।
- (ঘ) लोक सेवकों की नियुक्ति, निष्कासन, वेतन, ग्रनुशासन, ग्रधिवार्षिकी या सेवा शर्ती से सम्बन्धित अन्य विषयों के बारे में की गयी कार्यवाही, किन्तु इसके अन्तर्गत पेंशन, अनुग्रह राशि, भविष्य निधि का कोई दावा ग्रथवा सेवा निवृत्ति, निष्कासन ग्रथवा सेवा समापन से प्रोद्भुत कोई दावा सम्मिलित नहीं है ।
  - (इ) सम्मान तथा पारितोषिक का प्रदान किया जाना।

### No. 3655(2)/XVII-V-1-97-75

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Lok Ayukta Tatha Up-Lokyukta Adhiniyam, 1975 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 42 of 1975) as pased by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the President on September 7, 1975:

# THE UTTAR PRADESH LOKAYUKTA AND UP-LOKAYUKTAS ACT, 1975

[U. P. ACT NO. 42 OF 1975]

(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)

to make provision for the appointment and functions of certain authorities for the investigation of grievances and allegations against Ministers, legislators and other public servants in certain cases and for matters connected therewith.

IT IS HEREBY enacted in the Twenty-sixth year of the Republic of India as follows:-

- 1. Short title, extent and commencement—(1) This Act may be called the Uttar Pradesh Lokayukta and Up-Lokayuktas Act, 1975.
- (2) It extends to the whole of the State of Uttar Pradesh and applies also to the public servants posted outside Uttar Pradesh in connection with the affairs of that State.
- (3) It shall come into force on such date as the State Government may, by notification in the Gazette, appoint.

- 2. Definitions—In this Act, unless the context otherwise requires,—
  - (a) "action" means action taken by way of decision, recommendation or finding or in any other manner, and includes failure to act, and all other expressions connoting action shall be construed accordingly;
  - (b) "allegation", in relation to a public servant, means any affirmation that such public servant—
    - (i) has abused his position as such to obtain any gain or favour to himself or to any other person or to cause undue harm or hardship to any other person,
    - (ii) was actuated in the discharge of his functions as such public servant by personal interest or improper or corrupt motive, or
    - (iii) is guilty of corruption, or lack of integrity in his capacity as such public servant:
    - (c) "competent authority", in relation to a public servant, means,—
      - (i) in the case of a Minister or Secretary or member of the Legislative Assembly or of the Legislative Council—the Chief Minister,
      - (ii) in the case of any other public servant—such authority as may be prescribed,
  - (d) "grievance" means a claim by a person that he sustained injustice or undue hardship in consequence of mal-administration;
  - (e) "Lokayukta" means a person appointed as the Lokayukta and "Up-Lokayukta" means a person appointed as an Up-Lokayukta, under section 3;
  - (f) "mal-administration" means action taken or purporting to have been taken in exercise of administrative functions in any case,—
    - (i) where such action or the administrative procedure or practice governing such action is unreasonable, unjust, oppressive or improperly discriminatory; or
    - (ii) where there has been negligence or undue delay in taking such action, or the administrative procedure or practice governing such action involves undue delay;
  - (g) "Minister" means a member (other than the Chief Minister) of the Council of Ministers, by whatever name called, for the State of Uttar Pradesh, that is to say a Minister, Minister of State or Deputy Minister);
  - (h) "officer" means a person appointed to a public service or post in connection with the affairs of the State of Uttar Pradesh;
    - (i) "prescribed" means prescribed by rules made under this Act:
  - (j) "public servant" denotes a person falling under any of the following descriptions, and includes, subject to the provisions of sub-section (4) of section 8, a person who at any time in the past fell under any of the following descriptions, namely,—
    - (i) every Minister referred to in clause (g);
    - (ii) every member of the Legislative Assembly or the Legislative Council of the State of Uttar Pradesh not being the Chief Minister or Minister referred to in clause (g);
      - (iii) every officer referred to in clause (h);
      - (iv) (a) every Pramukh of a Kshettra Samiti;
        - (b) every Adhyaksha of a Zila Parishad;
        - (c) every Nagar Pramukh of a Nagar Mahapalika;
    - (d) every President of the Municipal Board of a city as defined in clause (4) of section 2 of the U. P. Municipalities Act, 1916;
    - (e) a non-official Chairman including every office bearer of that description by whatever name called, or Managing Director of a district level central society or of an apex society, registered under any law relating to co-operative societies for the time being in force;

Explanation—In this sub-clause, "central society" means a co-operative society which includes in its membership other co-operative societies, and "apex society" means a State level central society;

- (v) every person in the service or pay of—
  - (a) any local authority in the State of Uttar Pradesh which is notified by the State Government in this behalf in the Gazette;
  - (b) any corporation not being a local authority established by or under an Uttar Pradesh or Central Act and owned or controlled by the State Government, which is notified by the State Government in this behalf in the Gazette;

- (c) any Government company within the meaning of section 617 of the Companies Act, 1956 (Central Act I of 1956), in which not less than fifty-one per cent of the paid-up share capital is held by the State Government or any company which is a subsidiary of a company in which not less than, fifty-one per cent of the paid-up share capital is held by the State Government and which is notified by the State Government in this behalf in the Gazette;
- (d) any society registered under the Societies Registration Act, 1860, which is owned or controlled by the State Government and which is notified by that Government in this behalf in the Gazette;
- (k) "Secretary" means a Secretary to the Government of Uttar Pradesh and includes a Special Secretary, an Additional Secretary and a Joint Secretary.
- 3. Appointment of Lokayukta and Up-Lokayuktas—(1) For the purpose of conducting investigations in accordance with the provisions of this Act, the Governor shall, by warrant under his hand and seal, appoint a person to be known as the Lokayukta and one or more persons to be known as the Up-Lokayukta or Up-Lokayuktas:

Provided that,-

- (a) the Lokayukta shall be appointed after consultation with the Chief Justice of the High Court of Judicature at Allahabad and the leader of the Opposition in the Legislative Assembly, and if there be no such Leader a person elected in this behalf by the members of the opposition in that House in such manner as the Speaker may direct;
- (b) the Up-Lokayukta or Up-Lokayuktas shall be appointed after consultation with the Lokayukta:

Provided further that where the Speaker of the Legislative Assembly is satisfied that circumstances exist on account of which it is not practicable to consult the Leader of the Opposition in accordance with clause (a) of the preceding proviso, he may intimate the Governor the name of any other member of the Opposition in the Legislative Assembly who may be consulted under that clause instead of the Leader of the Opposition.

- (2) Every person appointed as the Lokayukta or an Up-Lokayukta shall before entering upon his office, make and subscribe before the Governor, or some person appointed in that behalf by him, an oath or affirmation in the form set out for the purpose in the First Schedule.
- (3) The Up-Lokayuktas shall be subject to the administrative control of the Lokayukta and, in particular, for the purpose of convenient disposal of investigations under this Act, the Lokayukta may issue such general or special directic n as he may consider necessary to the Up-Lokayukta:

Provided that nothing in this sub-section shall be construed to authorise the Lokayukta to question any finding, conclusion or recommendation of an Up-Lokayukta.

- 4. Lokayukta or Up-Lokayukta to hold no other office—The Lokayukta shall be a person who is or has been a Judge of the Supreme Court or a High Court and the Lokayukta or an Up-Lokayukta shall be a person who is not and has never been a member of Parliament or a member of the Legislature of any State and shall not hold any office of trust or profit (other than his office as the Lokayukta, or as the case may be an Up-Lokayukta); or be connected with any political party or carry on any business or practice any profession, and accordingly before he enters upon his office, a person appointed as the Lokayukta or, as the case may be, an Up-Lokayukta, shall—
  - (a) if he is a sitting Judge or holds any other office of trust or profit, resign from such office; or
    - (b) if he is connected with any political party, sever his connection with it; or
  - (c) if he is carrying on any business, sever his connection (there of divesting him-self of ownership) with the conduct and management of such business; or
    - (d) if he is practising any profession, suspend practice of such profession.
- 5. Term of office and other conditions of service of Locayukta and Up-Lokayukta = (1) Every person appointed a; the Lokayukta or Up-Lokayukta shall hold office for a term of five years from the date on which he enters up on his office:

Provided that.-

- (a) the Lokayukta or an Up-Lokayukta may, by writing under his hand addressed to the Governor, resign his office;
- (b) the Lokayukta or an Up-Lokayukta may be removed from office in the manner specified in section 6.

- (2) If the office of the Lokayukta or an Up-Lokayukta becomes vacant, or if the Lokayukta or an Up-Lokayukta is by reason of absence or for any other reason whatsoever, unable to perform the duties of his office, those duties, shall until some other person appointed under section 3 enters upon such office or, as the case may be, until the Lokayukta or such Up-Lokayukta resumes his duties, be performed,—
  - (a) where the office of the Lokayukta becomes vacant or where he is unable to perform the duties of his office, by the Up-Lokayukta or if there are two or more Up-Lokayukta; by such one of the Up-Lokayuktas as the Governor may by order direct;
  - (b) where the office of an Up-Lokayukta becomes vacant or where he is unable to perform the duties of his office, by the Lokayukta himself, or if the Lokayukta so directs, by the other Up-Lokayukta or, as the case may be, such one of the other Up-Lokayukta as may be specified in the direction.
- (3) On ceasing to hold office the Lokayukta or an Up-Lokayukta shall be ineligible for further employment (whether as the Lokayukta or an Up-Lokayukta) or in any other capacity under the Government of Uttar Pradesh or for any employment under, or office in any such local authority, corporation, Government company or society as is referred to in sub-clause (ix) of clause (i) of section 2.

(4) There shall be paid to the Lokayukta and the Up-Lokayuktas such salaries as are specified in the Second Schedule.

(5) The allowances and pension, if any, payable to, and other conditions of service, of the Lokayukta or an Up-Lokayukta shall be such as may be prescribed:

Provided that in prescribing the allowances and pension payable to, and other conditions of service of—

- (a) the Lokayukta, regard shall be had to the allowances and pension payable to and other conditions of service, of the Chief Justice of the High Court;
- (b) the Up-Lokayukta, regard shall be had to the allowances and pension payable to, and other conditions of service of a Judge of a High Court:

Provided further that the allowance<sub>3</sub> and pension, if any, payable to, and other conditions of service of the Lokayukta or an Up-Lokayukta shall not be varied to his disadvantage after his appointment.

6. Removal of Lokayukta or Up-Lokayukta—(!) Subject to the provisions of Article 311 of the Constitution, the Lokayukta or an Up-Lokayukta may be removed from his office by the Governor on the ground of misbehaviour or incapacity and on no other ground:

Provided that the inquiry required to be held under clause (2) of the said Article before such removal—

- (i) in respect of Lokayukta shall only be held by a person appointed by the Governor being a person who is or has been a Judge of the Supreme Court or a Chief Justice of a High Court; and
- (ii) in respect of an Up-Lokayukta shall be held by a person appointed by the Governor being a person who is or has been Judge of the Supreme Court or who is or has been a Judge of a High Court.
- (2) The person appointed under the proviso to sub-section (1) shall submit the report of his inquiry to the Governor who shall, as soon as may be, cause it to be laid before the State Legislature.
- (3) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), the Governor shall not remove the Lokayukta or an Up-Lokayukta unless an address by each House of the State Legislature supported by a majority of the total membership of that House and a majority of not less than two-thirds of the members of that House present and voting, has been presented to the Governor in the same session for such removal.
- 7. Matters which may be investigated by Lokayukta or Up-Lokayukta—(1) Subject to the provisions of this Act and on a complaint involving a grievance or an allegation being made in that behalf, the Lokayukta may investigate any action which is taken by, or with the general or specific approval of,—
  - (i) a Minister or a Secretary; and
  - (ii) any public servant referred to in sub-clause (ii) or sub-clause (iv) of clause (j) of section 2; or
  - (iii) any other public servant being a public servant of a class or sub-class of public servants notified by the State Government in consultation with the Lokayukta, in this behalf.

And 5 up ch 7/198 (2) Subject to the provisions of this Act and on a complaint involving a grievance or an allegation being made in that behalf, an Up-Lokayukta may investigate any action which is taken by or with the general or specific approval of any public servant not being a Minister, Secretary or other public servant referred to in sub-section (1).

(3) Notwithstanding anything contained in sub-section (2), the Lokayukta may, for reasons to be recorded in writing, investigate any action which may be investigated by an

Up-Lokayukta under that sub-section.

(4) Where two or more Up-Lokayuktas are appointed under this Act, the Lokayukta may, by general or special order, assign to each of them matters which may be investigated by them under this Act:

Provided that no investigation made by an Up-Lokayukta under this Act, and no action taken or thing done by him in respect of such investigation shall be open to question on the ground only that such investigation related to a matter which is not assigned to him by such order.

8. Matters not subject to investigation—(1) Except as hereinafter provided, the Lokayukta or an Up-Lokayukta shall not conduct any investigation under this Act—

(a) except on a complaint made under and in accordance with section 9; or

(b) in the case of a complaint involving a grievance in respect of any action,—

(i) if such action relates to any matter specified in the Third Schedule; or

(ii) if the complainant has or had any remedy by way of proceeding before

any Tribunal or Court of law:

Provided that nothing in sub-clause (ii) shall prevent the Lokayukta or an Up-Lokayukta from conducting an investigation if he is satisfied that such person could not or cannot, for sufficient cause, have recourse to a remedy referred to in that sub-clause.

(2) The Lokayukta or an Up-Lokayukta shall not investigate any action,—

(a) in respect of which a formal and public inquiry has been ordered under the Public Servants (Inquiries) Act, 1850 (Central Act 37 of 1850), by the Government of India or by the State Government; or

(b) in respect of a matter which has been referred for inquiry under the Commissions of Inquiry Act, 1952 (Central Act 60 of 1952), by the Government of India or by the State Government.

- (3) The Lokayukta or an Up-Lokayukta shall not investigate any complaint which is excluded from his jurisdiction by virtue of a notification issued under section 19.
  - (4) The Lokayukta or an Up-Lokayukta shall not investigate,-

(a) any complaint involving a grievance, if the complaint is made after the expiry of twelve months from the date on which the action complained against becomes known to the complainant;

(b) any complaint involving an allegation, if the complaint is made after the expiry of five years from the date on which the action complained against is alleged

to have taken place:

Provided that the Lokayukta or an Up-Lokayukta may entertain a complaint referred to in clause (a), if the complainant satisfies him that he had sufficient cause for not making the complaint within the period specified in that clause.

- (5) In the case of any complaint involving a grievance, nothing in this Act shall be construed as empowering the Lokayukta or an Up-Lokayukta to question any administrative action involving the exercise of a discretion except where he is satisfied that the elements involved in the exercise of the discretion are absent to such an extent that the discretion cannot be regarded as having been properly exercised.
- (6) The Lokayukta or an Up-Lokayukta shall not investigate any complaint involving a grievance against a public servant referred to in sub-clause (iv) or sub-clause (v) of clause (j) of section 2.
- 9. Provisions relating to complaints—(1) Subject to the provisions of this Act, a complaint may be made under this Act to the Lokayukta or an Up-Lokayukta—
  - (a) in the case of a grievance, by the person aggrieved;
  - (b) in the case of an allegation, by any person other than a public servant:

Provided that, where the person aggrieved is dead or is for any reason unable to act for himself, the complaint may be made by any person who in law represents his estate or, as the case may be, by any person who is authorised by him in this behalf.

- (2) Every complaint shall be accompanied by the complainant's own affidavit in support thereof and also affidavits of all persons from whom he claims to have received information of facts relating to the accusation, verified before a notary, together with all documents in his possession or power pertaining to the accusation.
- (3) Every complaint and affidavit under this section as well as any schedule or annexure thereto shall be verified in the manner laid down in the Code of Civil Procedure, 1908, for the verification of pleadings and affidavits respectively.
- (4) Not less than three copies of the complaint as well as of each of its annexures shall be submitted by the complainant.
- (5) A complaint which does not comply with any of the foregoing provisions shall not be entertained.
- (6) Notwithstanding anything, contained in sub-sections (1) to (5), or in any other enactment, any letter written to the Lokayukta or Up-Lokayukta by a person in police custody, or in a gaol or in any asylum or other place for insane persons, shall be forwarded to the addressee unopened and without delay by the police officer or other persons in charge of such gaol, asylum or other place, and the Lokayukta or Up-Lokayukta, as the case may be, may entertain it and treat it as a complaint, but no action in respect of such complaint shall be taken unless it is accompanied or subsequently supported by an affidavit under sub-section (2).
- 10. Procedure in respect of investigations—(1) Where the Lokayukta or an Up-Lokayukta proposes (after making such preliminary inquiry, if any, as he deems fit) to conduct any investigation under this Act, he—
  - (a) shall forward a copy of the complaint to the public servant concerned and the competent authority concerned;
  - (b) shall afford to the public servant concerned an opportunity to offer his comments on such complaint; and
  - (c) may make such orders as to the safe custody of documents relevant to the investigation, as he deems fit.
- (2) Every such investigation shall be conducted in private, and in particular, the identity of the complainant and of the public servant affected by the investigation shall not be disclosed to the public or the press whether before, during or after the investigation:

Provided that, the Lokayukta or an Up-Lokayukta may conduct any investigation relating to a matter of definite public importance in public, if he, for reasons to be recorded in writing, thinks fit to do so.

- (3) Save as aforesaid, the procedure for conducting any such investigation shall be such as the Lokayukta or, as the case may be, the Up-Lokayukta considers appropriate in the circumstances of the case.
- (4) The Lokayukta or an Up-Lokayukta may, in his discretion, refuse to investigate or cease to investigate any complaint involving a grievance or, an allegation, if in his opinion—
  - (a) the complaint is frivolous or vexatious, or is not made in good faith; or
  - (b) there are no sufficient grounds for investigating or, as the case may be, for continuing the investigation, or
  - (c) other remedies are available to the complainant and in the circumstances of the case it would be more proper for the complainant to avail of such remedies.
- (5) In any case where the Lokayukta or an Up-Lokayukta decides not to entertain a complaint or to discontinue any investigation in respect of a complaint, he shall record his reasons therefor and communicate the same to the complainant and the public servant concerned.
  - (6) The conduct of an investigation under this Act in respect of any action shall not affect such action, or any power or duty of any public servant to take further action with respect to any matter subject to the investigation.
- 11. Evidence—(1) Subject to the provisions of this section, for the purpose of any investigation (including the preliminary inquiry, if any, before such investigation) under this Act, the Lokayukta or an Up-Lokayukta may require any public servant or any other person who in his opinion is able to furnish information or produce documents relevant to the investigation to furnish any such information or produce any such documents

- (2) For the purpose of any such investigation (including the preliminary enquiry) the Lokayukta or an Up-Lokayukta shall have all the powers of a civil court while trying a suit under the Code of Civil Procedure, 1908 (Central Act 5 of 1908), in respect of the following matters, namely—
  - (a) summoning and enforcing the attendance of any person and examining him on oath;
    - (b) requiring the discovery and production of any document;
    - (c) receiving evidence on affidavits;
    - (d) requisitioning any public record or copy thereof from any court or office;
    - (e) issuing commissions for the examination of witnesses or documents;
    - (f) such other matters as may be prescribed.
- (3) Any proceeding before the Lokayukta or an Up-Lokayukta shall be deemed to be a Judicial proceeding within the meaning of section 193 of the Indian Penal Code (Central Act 45 of 1860).
- (4) Subject to the provisions of sub-section (5), no obligation to maintain secrecy or other restriction upon the disclosure of information obtained by or furnished to the State Government or any public servant, whether imposed by any enactment or by any rule of law, shall apply to the disclosure of information for the purpose of any investigation under this Act and the State Government or any public servant shall not be entitled in relation to any such investigation to any such privilege in respect of the production of documents or the giving of evidence as is allowed by any enactment or by any rule of law in legal proceedings.
- (5) No person shall be required or authorised by virtue of this Act to furnish any such information or answer any such question or produce so much of any document—
  - (a) as might prejudice the security of the State or the defence or international relations of India (including India's relations with the Government of any other country or with any international organisation), or the investigation or detection of crime; or
  - (b) as might involve the disclosure of proceedings of the Cabinet of the State Government or any Committee of that Cabinet,
- and for the purpose of this sub-section a certificate issued by the Chief Secretary certifying that any information, answer or portion of a document is of the nature specified in clause (a) or clause (b), shall be binding and conclusive.
- (6) Subject to the provisions of sub-section (4), no person shall be compelled for the purposes of investigation under this Act to give any evidence or produce any document which he could not be compelled to give or produce in proceedings before a Court.
- 12. Reports of Lokayukta and Up-Lokayuktas—(1) If, after investigation of any action in respect of which a complaint involving a grievance has been made, the Lokayukta or an Up-Lokayukta is satisfied that such action has resulted in injustice or undue hardship to the complainant or any other person, the Lokayukta or Up-Lokayukta shall by a report in writing, recommend to the public servant and the competent authority concerned that such injustice or undue hardship shall be remedied or redressed in such manner and within such time as may be specified in the report.
- (2) The competent authority to whom a report is sent under sub-section (1), shall within one month of the expiry of the term specified in the report, intimate or cause to be intimated to the Lokayukta, or as the case may be, the Up-Lokayukta, the action taken for compliance with the report.
- (3) If, after investigation of any action in respect of which a complaint involving an allegation has been made, the Lokayukta or an Up-Lokayukta is satisfied that such allegation can be substantiated either wholly or partly, he shall by report in writing communicate his findings and recommendation alongwith the relevant documents, materials and other evidence to the competent authority.
- (4) The competent authority shall examine the report forwarded to it under subsection (3) and intimate within three months of the date of receipt of the report, the Lokayukta or, as the case may be, the Up-Lokayukta, the action taken or proposed to be taken on the basis of the report.
- (5) If the Lokayukta or the Up-Lokayukta is satisfied with the action taken or proposed to be taken on his recommendations or findings referred to in sub-sections (1) and (3), he shall close the case under information to the complainant, the public servant and the competent authority concerned, but where he is not so satisfied and if he considers that the case so deserves, he may make a special report upon the case to the Governor and also inform the complainant concerned.
- (6) The Lokayukta and the Up-Lokayuktas shall present annually a consolidated report on the performance of their functions under this Act to the Governor.

- (7) On receipt of a special report under sub-section (5) or the annual report under sub-section (6), the Governor shall cause a copy thereof together with an explanatory memorandum to be laid before each House of the State Legislature.
- (8) Subject to the provisions of sub-section (2) of section 10, the Lokayukta may at his discretion make available, from time to time, the substance of cases closed or otherwise disposed of by him or by an Up-Lokayukta, which may appear to him to be of general, public, academic or professional interest, in such manner and to such persons as he may deem appropriate.
- 13. Action in case of false complaint—(1) Notwithstanding anything contained in any other provision of this Act every person who wilfully or maliciously makes any false complaint under this Act shall, on conviction, be punished with imprisonment for a term which may extend to three years and shall also be liable to fine.
- (2) No court, except a court of session, in the case of a complaint investigated by the Lokayukta or a Court of Magistrate, First Class in the case of a complaint investigated by an Up-Lokayukta shall take cognizance of the offence under sub-section (1).
- (3) No such court shall take cognizance of such offence as aforesaid except on a complaint in writing made by the Public Prosecutor at the direction of the Lokayukta or Up-Lokayukta, as the case may be, and the Court of Session may take cognizance of the offence on such complaint without the case being committed to it, anything contained in the Code of Criminal Procedure, 1973, notwithstanding.
- (4) Such court, on conviction of the person making false complaint, may award, out of the amount of fine, to the complainant such amount of compensation as it thinks fit.
- (5) If at any stage of a proceeding under this Act before the Lokayukta or an Up-Lokayukta it appears to him that any person appearing in such proceeding or any person who filed an affidavit in support of a complaint made under this Act had knowingly or wilfully given false evidence or had fabricated false evidence with the intention that such evidence should be used in such proceeding, the Lokayukta or Up-Lokayukta, as the case may be, may, if satisfied that it is necessary and expedient in the interest of justice that the person should be tried summarily for giving or fabricating, as the case may be, false evidence, take cognizance of the offence and may, after giving the offender a reasonable opportunity of showing cause why he should not be punished for such offence, try such offender summarily, so far as may be, in accordance with the procedure prescribed for summary trials under the Code of Criminal Procedure, 1973 and sentence him to imprisonment for a term which may extend to six months or to fine which may extend to five thousand rupees or to both.
- (6) When any such offence as is described in section 175, section 178, section 179 or section 180 of the Indian Penal Code is committed in the view or presence of the Lokayukta or Up-Lokayukta, he may cause the offender to be detained in custody and may, at any time on the same day, take cognizance of the offence and, after giving the offender a reasonable opportunity of showing cause why he should not be punished under this section, sentence the offender to simple imprisonment for a term which may extend to one month, or to fine which may extend to five hundred rupees, or to both.
- (7) In every case tried under sub-section (6), the Lokayukta or Up-Lokayukta, as the case may be, shall record the facts constituting the offence with the statement (if any) made by the offender as well as the finding and the sentence.
- (8) Any person convicted on a trial held under sub-section (5) or sub-section (6) may appeal to the High Court, and the provisions of Chapter XXIX of the Code of Criminal Procedure, 1973, shall, so far as they are applicable, apply to appeals under this sub-section, and the Appellate Court may alter or reverse the finding, or reduce or reverse the sentence appealed against.
- (9) The provisions of sub-sections (5), (6), (7) and (8) shall have effect notwithstanding anything contained in the Code of Criminal Procedure, 1973, but nothing in these sub-sections shall affect the power of the Lokayukta or Up-Lokayukta, as the case may be, to proceed under sub-section (3) in respect of any offence, where it does not choose to proceed under sub-sections (5), (6) and (7).

Sections (5), (6) and (7).

(10) Words and expressions used in sub-sections (5) to (9) and not defined in this Act shall have the same meanings as in the Code of Criminal Procedure, 1973.

14. Staff of Lokayukta and Up-Lokayukta—(1) The Lokayukta may appoint, or authorise an Up-Lokayukta or any officer subordinate to the Lokayukta or an Up-Lokayukta to appoint, officers and other employees to assist the Lokayukta and the Up-Lokayuktas in the discharge of their functions under this Act:

Provided that nothing in this sub-section shall be construed to prevent any person who holds a post under the Central or the State Government from being appointed on deputation with the consent of that Government.

- (2) The number and categories of officers and employees who may be appointed under sub-section (1), their salaries, allowances and other conditions of service and the administrative powers of the Lokayukta and Up-Lokayuktas shall be such as may be determined by general or special order of the State Government made after consultation with the Lokayukta.
- (3) Without prejudice to the provisions of sub-section (1), the Lokayulta or an Up-Lokayukta may for the purpose of conducting investigations under this Act utilise the services of—
  - (i) any officer or investigation agency of the State or Central Government with the concurrence of that Government,
    - (ii) any other person or agency.
- 15. Secrecy of information—(1) Any information obtained by the Lokayukta or the Up-Lokayukta or members of their staff in the course of or for the purposes of any investigation under this Act and any evidence recorded or collected in connection with such information, shall, subject to the provisions of the provision to sub-section (2) of section 10, he treated as confidential and notwithstanding anything contained in the Indian Evidence Act, 1872 (Central Act I of 1872), no Court shall be entitled to compel the Lokayukta or an Up-Lokayukta or any public servant to give evidence relating to such information or produce the evidence so recorded or collected.
- (2) Nothing in sub-section (1) shall apply to the disclosure of any information or particulars,—
  - (a) for purposes of the investigation or in any report to be made thereon or for any action or proceedings to be taken on such report; or
  - (b) for purposes of any proceedings for an offence under the Official Secrets Act, 1923 (Central Act 19 of 1923), or an offence of giving or fabricating false evidence under the Indian Penal Code, 1860 (Central Act 45 of 1860) or for purposes of any trial of an offence under section 13 or any proceedings under section 16; or
    - (c) for such other purposes as may be prescribed.
- (3) An officer or other authority prescribed in this behalf may give notice in writing to the Lokayukta or an Up-Lokayukta, as the case may be, with respect to any document or information specified in the notice or any class of documents or information so specified that in the opinion of the State Government the disclosure of the documents or information or of documents or information of that class would be contrary to public interest, and where such a notice is given, nothing in this Act, shall be construed as authorising or requiring the Lokayukta, the Up-Lokayukta or any member of their staff, unless the Lokayukta or the Up-Lokayukta, for reasons to be recorded, is of the opinion that disclosure of such document or information involves no public interest, to communicate to any person any document or information specified in the notice or any document or information of a class so specified.
- 16. Intentional insult or interruption to, or bringing into disrepute, Lokayukta or Up-Lokayukta—(1) Whoever intentionally offers any insult, or causes any interruption to the Lokayukta or an Up-Lokayukta while the Lokayukta or the Up-Lokayukta is conducting any investigation under this Act, shall, on conviction, be punished with simple imprisonment for a term which may extend to six months, or with fine, or with both.
- (2) Whoever, by words spoken or intended to be read, makes or publishes any statement or does any other act, which is calculated to bring the Lokayukta or an Up-Lokayukta into disrepute, shall, on conviction, be punished with simple imprisonment for a term which may extend to six months, or with fine or with both.
- (3) The provisions of sub-sections (2) to (6) of section 199 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Central Act 2 of 1974), shall apply in relation to an offence under sub-section (1) or sub-section (2) as they apply in relation to an offence referred to in sub-section (2) of the said section 199 subject to the modification that no complaint in respect of such offence shall be made by the public prosecutor except with the previous sanction,—
  - (a) in the case of an offence against the Lokayukta, of the Lokayukta;
  - (b) in the case of an offence against an Up-Lokayukta, of the Up-Lokayukta concerned.
- 17. Protection—(1) No suit, prosecution or other legal proceeding shall lie against the Lokayukta or the Up-Lokayukta or against any officer, employee, agency or person referred to in section 14 in respect of anything which is in good faith done or intended to be done under this Act.
- (2) No proceedings of the Lokayukta or the Up-Lokayukta shall be held bad for want of form and except on the ground of jurisdiction, no proceedings or decision of the Lokayukta or the Up-Lokayukta shall be liable to be challenged, reviewed, quashed or called in question in any court.

- 18. Conferment of additional functions on Lokayukta and Up-Lokayuktas etc.—(1) The State Government may, by notification published in the Gazette and after consultation with the Lokayukta, confer on the Lokayukta or an Up-Lokayukta as the case may be, such additional functions in relation to the eradication of corruption as may be specified in the notification.
- (2) The State Government may, by order in writing and after consultation with the Loka-yukta, confer on the Lokayukta or an Up-Lokayukta such powers of a supervisory nature over agencies, authorities or officers set-up, constituted or appointed by the State Government for the eradication of corruption.
- (3) The State Government may, by order in writing and subject to such conditions and limitations as may be specified in the order, require the Lokayukta to investigate any action being an action in respect of which a complaint may be made under this Act, to the Lokayukta or an Up-Lokayukta and notwithstanding anything contained in this Act, the Lokayukta shall comply with such order:

Provided that the Lokayukta may entrust investigation of any such action (being action in respect of which a complaint may be made under this Act to an Up-Lokayukta) to an Up-Lokayukta.

- (4) When any additional functions are conferred on the Lokayukta or an Up-Lokayukta under sub-section (1) or when the Lokayukta or an Up-Lokayukta is to investigate any action under sub-section (3), the Lokayukta or Up-Lokayukta shall exercise the same powers and discharge the same functions as he would in the case of any investigation made on a complaint involving an allegation and the provisions of this Act shall apply accordingly.
- 19. Power to exclude complaints against certain classes of public servants—(1) The State Government may in consultation with the Lokayukta and on being satisfied that it is accessary or expedient in the public interest so to do, exclude, by notification in the Gazette, complaints involving a grievance or an allegation against persons belonging to any class of public servants specified in the notification, from the jurisdiction of the Lokayukta or, as the case may be, Up-Lokayukta:

Provided that no such notification shall be issued in respect of public servants holding posts carrying a minimum monthly salary (excluding allowances) of one thousand rupees or more.

- (2) Every notification issued under sub-section (1) shall be laid, as soon as may be, after it is issued, before each House of the State Legislature while it is in session for a total period of thirty days which may be comprised in one session or in more than one successive sessions, and if, before the expiry of the said period, the House agrees in making any modification in the notification or the House agrees that the notification should be annulled and notifies such decision in the Gazette, the notification shall from the date of publication of such decision have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be, so, however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done by virtue of that notification.
- 20. Power to delegate—The Lokayukta or an Up-Lokayukta may, by a general or special order in writing direct that any powers conferred or duties imposed on him by or under this Act (except the powers to make reports to the Governor under section 12) may also be exercised or discharged by such of the officers, employees or agencies referred to in section 14, as may be specified in the order.

21. Power to make rules—(1) The State Government may, by notification in the Gazette, make rules for the purpose of carrying into effect the provisions of this Act.

- (2) In particular, and without prejudice to the generality of the foregoing provisions, such rules may provide for—
  - (a) the authorities for the purpose required to be prescribed under sub-clause (ii) of clause (c) of section 2;
  - (b) the allowances and pension if any, payable to and other conditions of service of, the #Lokayukta and Up-Lokayuktas;
  - (c) the form, if any, in which, complaints may be made and the fees, if any, which may be charged and the security, if any, for costs of the person against whom an allegation is made which may be required to be furnished in respect thereof;
  - (d) the powers of a civil court which may be exercised by the Lokayukta or an Up-Lokayukta;
  - (e) any other matter which is to be or may be prescribed or in respect of which this Act makes no provision or makes insufficient provision and provision is in the opinion of the State Government necessary for the proper implementation of this Act.

is huely declared that

1831 ( who gray of 1881)

- (3) Every rule made under this Act shall be laid, as soon as may be, after it is made, before each house of the State Legislature while it is in session for a total period of thirty days which may be comprised in one session or in two successive sessions, and if during the said period, the House agrees in making any modification in the rule or the House agrees that the rule should be annulled and notifies such decision in the official Gazette, the rule shall from the date of publication of such notification have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be, so, however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done under that rule.
- 22. Removal of doubts—For the removal of doubts it is hereby declared that nothing in this Act shall be construed to authorise the Lokayukta or an Up-Lokayukta to investigate any allegation against—
  - (a) the Chief Justice or any Judge of the High Court or a member of a judicial service as defined in clause (b) of Article 236 of the Constitution;
    - (b) any officer or servant of any court;
    - (c) the Accountant General, Uttar Pradesh;
  - (d) the Chairman or a member of the Uttar Pradesh Public Service Commission or any member of its staff;
  - (e) the Chief Election Commissioner, the Election Commissioners and the Regional Commissioners referred to in Article 324 of the Constitution and the Chief Electoral Officer, Uttar Pradesh;
  - (f) any member of the Secretariat staff of either House of the State Legislature.
- 23. Savings—The provisions of this Act shall be in addition to the provisions of any other enactment or any rule of law under which remedy in any other manner is available to a person making a complaint under this Act, and nothing in this Act shall limit or affect the right of such person to avail of such remedy.
- 24. Repeal—The Uttar Pradesh Lokayukta and Up-Lokayuktas Ordinance, 1975 is hereby repealed.

#### THE FIRST SCHEDULE

[See Section 3(2)]

Lokayukta/Up-Lokayukta do swear in the name of God/solemnly affirm that I will bear faith and allegiance to the Constitution of India, as by law established, and I will duly and faithfully and to the best of my ability, knowledge and judgment perform the duties of my office without fear or favour, affection or ill-will.

#### THE SECOND SCHEDULE

[See SECTION 5(4)]

There shall be paid to the Lokayukta and the Up-Lokayukta in respect of time speat on actual service, salary at the following rates per mensem, that is to say:—

Lokayukta .. .. .. Rs.4,000

In case the person appointed as Lokayukta retired as, or immediately before his appointment as Lokayukta held the post of, Chief Justice of a High Court or Judge of the Supreme Court, Rs. 3,500 in any other case.

Up-Lokayukta ... Rs.3,500

In case the person appointed as Up-Lokayukta retired as, or immediately before his appointment as Up-Lokayukta held the post of a Judge of a High Court; Rs. 3,000 in any other case:

Provided that if the Lokayukta or an Up-Lokayukta at the time of his appointment is in receipt of a pension (other than a disability or wound pension) in respect of any previous service under the Government of India or any of its predecessor Governments or under the Government of a State or any of its predecessor Governments, his salary in respect of service as the Lokayukta or, as the case may be, Up-Lokaukta shall be reduced:—

- (a) by the amount of that pension, and
- (b) if he has, before such appointment, received in lieu of a portion of the pension due to him in respect of such previous service the commuted value thereof, by the amount of that portion of the pension, and
- (c) if he has, before such appointment, received a retirement gratuity in respect of such previous service,

by the peasion equivalent of that gratuity.

U.P. 6 nama : 13 •[1

#### THE THIRD SCHEDULE

[See Section 8 (1)(b)(i)]

- (a) Action taken for the purpose of investigating crime or protecting the security of the State.
- (b) Action taken in the exercise of powers in relation to determining whether a matter shall go to, or shall continue to be prosecuted in a court or not.
- (c) Action taken in matters which arise out of the terms of a contract governing purely commercial relations of the administration of the Government or of the local authority or other corporation, company or society, as the case may be, with customers or suppliers except where the complainant alleges harassment or gross delay in meeting contractual obligations.
- (d) Action taken in respect of appointments, removals, pay, discipline, superannuation or other matters relating to conditions of service of public servants but not including action relating to claims, for pension, gratuity, provident fund or to any claims which arise on retirement, removal or termination of service.
  - (e) Grant of honours and awards.

अप्राज्ञा से, कैलाश नाथ गोयल, सचिव।